प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(खण्ड-9)

दिसम्बर 2019 से दिसम्बर 2021 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

(मार्च 2022 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-9

दिसम्बर 2019 से दिसम्बर 2021 सत्र

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2022

निर्देशन :	**श्री ए.पी. सिंह**	--	**प्रमुख सचिव**
संपादन :	**श्री बीरेन्द्र कुमार**	--	**अपर सचिव**
	श्री रमेश महाजन	--	**उप सचिव**
	श्री एस.एन. गौर	--	**अवर सचिव**
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	**अवर सचिव**
	श्री माधव दफ्तरी	--	**शिष्टाचार अधिकारी**
	श्री गोविन्द पण्डा	--	**अनुभाग अधिकारी**
संकलनकर्ता :	**श्री संजीव सराठे**	--	**सहायक ग्रेड-1**
	श्री प्रवीण जैन	--	**सहायक ग्रेड-2**
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	**उप सहायक मार्शल**
	श्री मनीष बनोदे	--	**सहायक ग्रेड-3**

<u>प्रस्तावना</u>

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार दिसम्बर 2019 से दिसम्बर 2021 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 25 फरवरी, 2022

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	1-2
2.	दिसम्बर 2020 सत्र	--	--	3-5
3.	फरवरी-मार्च 2021 सत्र	--	--	6-24
4.	अगस्त 2021 सत्र	--	--	25-37
5.	दिसम्बर 2021 सत्र	--	--	38-61

दिसम्बर, 2019

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

शासकीय सेवकों की अचल सम्पत्तियों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

1. अता.प्र.सं.49 (क्र. 558) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक सी.5-1/2010/3/एक दिनांक 15/2/10 के तहत सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों की प्रतिवर्ष अद्यतन अचल संपत्ति की जानकारी विवरण विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की है। यदि जानकारी सार्वजनिक करने में कठिनाई है तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क कर कठिनाई का निराकरण किया जाना है? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो ऐसे कितने विभाग हैं जिन्हें प्रतिवर्ष विभागीय वेबसाइट पर शासकीय सेवकों की अद्यतन अचल संपत्तियों का वितरण सार्वजनिक नहीं करने पर विभाग/विभागाध्यक्ष को दोषी माना जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? विभागवार नामजद विगत 5 वर्षों की जानकारी देवें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार म.प्र. सेवा आचारण नियम-19 (1) में संपत्ति की में चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवकों के मुक्त रखने का प्रावधान समाप्त किया गया है? चूंकि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिपत्र अनुसार सभी शासकीय सेवकों की अचल संपत्ति सार्वजनिक होना है जिसमें चतुर्थ श्रेणी भी सम्मिलित होना स्पष्ट है। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के तहत क्या शासन सभी शासकीय सेवकों की प्रति वर्ष अद्यतन अचल संपत्तियों की जानकारी संकलित कर सभी विभाग अपनी अपनी वेबसाइट पर कब तक सार्वजनिक करने हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी करेगा ताकि शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता निर्मित हो।

मुख्य मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है**।** **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रतिवर्ष अचल संपत्ति विवरण बेवसाईट पर अद्यतन करने के निर्देश पूर्व से ही है**।**] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण
[सामान्य प्रशासन]

2. अता.प्र.सं.140 (क्र. 1297) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गये? श्रेणीवार संख्या बतायें। **(ख)** इनमें कितने अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण स्वैच्छिक एवं प्रशासकीय आधार पर किए गए? पृथक-पृथक श्रेणीवार संख्या बतायें। **(ग)** क्या इस अवधि में निरस्त एक से अधिक बार भी

स्थानांतरण किए गए? यदि हाँ तो इनकी संख्या कितनी हैं एवं किन कारणों से एक वर्ष से कम अवधि में एक से अधिक बार स्थानांरतण किए गये?

मुख्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** से **(ग)** 40 विभागों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष विभागों की जानकारी निरंक है।

दिसम्बर, 2020

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

पंचायतों एवं ग्रामसभा के अधिकार

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. अता.प्र.सं.47 (क्र. 229) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को वन भूमि, राजस्व भूमि एवं अन्य भूमियों पर कौन-कौन से सामुदायिक अधिकार वन अधिकार कानून 2006, पेसा कानून 1996, संविधान की 11वीं अनुसूची, पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 संशोधन 1998 एवं भू-राजस्व संहिता 1959 की किस-किस धारा के तहत दिया गया है? **(ख)** म.प्र. शासन द्वारा ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को सामुदायिक अधिकार सौंपे जाने के संबंध में किस-किस दिनांक को राजपत्र में कौन सा नियम अधिसूचित किया है? किस दिनांक को किस विषय पर आदेश जारी किया है? नियम एवं आदेश की प्रति सहित बताएं। **(ग)** राज्य शासन ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को कौन-कौन सा सामुदायिक अधिकार सौंपे जाने से संबंधित वर्तमान में क्या कार्यवाही कर रही है? कब तक करेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को वन भूमि, राजस्व भूमि एवं अन्य भूमि पर सौंपे गये सामुदायिक अधिकार जिन धाराओं के तहत दिये गये हैं, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है, नियम एवं आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग)** म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-27/2021/1/4 दिनांक 06 मार्च 2021 द्वारा इस हेतु समिति का गठन किया गया है, समय-सीमा बताना संभव नहीं।

दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

2. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 81) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 23 मार्च 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक मुख्यमंत्री जी द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई हैं? **(ख)** उपरोक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिये अलग-अलग कितनी-कितनी राशि का व्यय अनुमानित है तथा किस-किस मद से व्यय किया जाएगा? **(ग)** क्या मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा करने से पहले उस पर होने वाले व्यय की राशि की व्यवस्था करने के लिये वित्त विभाग से परामर्श लेते हैं?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं की पूर्ति

[सामान्य प्रशासन]

3. परि.अता.प्र.सं. 112 (क्र. 880) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 23 मार्च, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास के दौरान किन-किन दिनांकों को कहाँ-कहाँ पर किस-किस संबंध में क्या-क्या जन हितैषी घोषणाएं की गई थीं? उन घोषणाओं की जिलेवार सूची दें। **(ख)** माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उक्त की गई घोषणाओं में से कौन-कौन सी घोषणाओं का अक्षरश: पूर्ण क्रियान्वयन कर आदेश जारी कर दिये गये हैं? उनकी सूची दें। **(ग)** उपरोक्त किन-किन घोषणाओं पर क्रियान्वयन प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से नहीं किया जा सका है तथा सभी घोषणाओं की पूर्ति करने के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है एवं कब तक घोषणाएं पूर्ति हो जाएगी?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। विभाग द्वारा अपने निहित नियमों/प्रक्रियाओं के तहत कार्यवाही की जाती है, इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड की अधिसूचना

[आदिमजाति कल्याण]

4. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 578) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य में किस जिले के किस विकासखंड को अनुसूचित जनजाति विकासखंड किस दिनांक को अधिसूचित किया गया? राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग में किस-किस जाति को किस-किस दिनांक को अधिसूचित किया गया? **(ख)** संविधान, प्रचलित कानूनों में आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों की क्या-क्या परिभाषा एवं व्याख्या की गई है? वनवासी शब्द का संविधान के किस अनुच्छेद या किस प्रचलित कानून में उल्लेख किया गया है? प्रति सहित बताएं। **(ग)** आदिवासियों या जनजातियों को राज्य में वनवासी संबोधित करने का क्या कारण है? ऐसा किस प्रावधान के अनुसार किया जा रहा है?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** भारत सरकार के द्वारा जारी राजपत्रों के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। इन

अधिसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड अनुसूचित जनजाति विकासखंड हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** तथा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति वर्ग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ख)** भारतीय संविधान में मात्र अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है। वनवासी शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुसूचित जनजातियों को शासकीय तौर पर वनवासी संबोधित नहीं किया जाता। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

फरवरी-मार्च, 2021

दिनांक 25 फरवरी, 2021

मछुआ सहकारी समितियों का पंजीयन
[सहकारिता]

1. अता.प्र.सं.88 (क्र. 1135) श्री राकेश गिरि : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले में कितनी मछुआ सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? समितियों की सूची, कार्यकारिणी एवं सदस्यों सहित उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कितनी समितियों के द्वारा सहकारिता विभाग के नियमों/उपनियमों का पालन, समितियों के संगम अनुच्छेदों के अनुरूप वार्षिक विवरणियां/आमसभा की कार्यवाहियां/लेखाओं का अंकेक्षण व प्रस्तुतिकरण तथा लाभांश वितरण नहीं किया गया है? सूची दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार चूककर्ता समितियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसी समितियों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या समितियों के पंजीयन निरस्त/कार्यकारिणी/बोर्ड भंग किये जायेंगे? यदि हाँ तो समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो कारण बतायें।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** टीकमगढ़ जिले में 95 मछुआ सहकारी समिति पंजीकृत हैं। समिति की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** एवं कार्यकारणी/सदस्यों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, विभागीय नियम/उपनियम के अनुरूप वार्षिक विवरणियां/आमसभा की कार्यवाहियां/लेखाओं का अंकेक्षण व प्रस्तुतिकरण तथा लाभांश वितरण प्रस्तुत नहीं करने वाली 58 समितियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है**। (ग)** जी हाँ, चूककर्ता 58 सहकारी समितियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा - 49 (7) (ख), 53 (1), 53 (12) एवं 56 (3) के तहत कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ, उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही किये जाने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 1 मार्च, 2021

आदिवासी और संवैधानिक नियम
[जनजातीय कार्य]

2. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 1912) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति "आदिवासी" जनजाति, अनुसूचित जनजाति शब्द का संविधान या किस प्रचलित कानून में क्या परिभाषा दी गयी है या किस रूप में उल्लेखित है? संविधान या किस प्रचलित कानून में उक्त चारों शब्द किन प्रावधानों के तहत क्या समानार्थी हैं अथवा अलग-अलग? तत्संबंधी ब्यौरा दें। **(ख)** क्या "आदिम जाति कल्याण विभाग" का

नाम बदलकर ''जनजाती कार्य विभाग'' किया गया है? यदि हाँ तो विभाग का नाम संविधान के किस अनुच्छेद या प्रचलित कानून के तहत किन कारणों से बदला गया? तत्संबंधी ब्यौरा दें। **(ग)** वनवासी शब्द का संविधान के किस अनुच्छेद या किस प्रचलित कानून में उल्लेख किया गया है? प्रति सहित बताएं। आदिवासियों या जनजातियों को राज्य में वनवासी संबोधित करने का क्या कारण है? ऐसा किस प्रावधान के अनुसार किया जा रहा है? **(घ)** विधान सभा प्रश्न क्रमांक 578 उत्तर दिनांक 30.12.2020 की जानकारी प्रश्न दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं किए जाने का क्या कारण है? कब तक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है**।**] **(क)** भारतीय संविधान में मात्र "अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार "अनुसूचित जनजातियों" से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें से यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। "शेष तीन शब्दों का संविधान में किसी तरह का ब्यौरा नहीं है। **(ख)** जी हाँ। प्रश्नांश 'क' अनुसार संविधान में उल्लेखित परिभाषा अनुसार बदला गया है। **(ग)** वनवासी शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुसूचित जनजातियों को शासकीय तौर पर वनवासी संबोधित नहीं किया जाता। **(घ)** विधान सभा प्रश्न क्रमांक 578 उत्तर दिनांक 30.12.2020 की जानकारी प्राप्त करने में अधिक समय लगने से प्रश्न दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

<u>दिनांक 2 मार्च, 2021</u>

युवा उद्यमी को उपलब्ध कराए गए रोजगार का सत्यापन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

3. अता.प्र.सं.73 (क्र. 2040) श्री महेश परमार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर निगम उज्जैन के युवा उद्यमियों को विभाग से संचालित 6 कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है? यदि हाँ, तो योजनाओं की स्थापना काल से वर्षवार लाभान्वित युवा उद्यमियों को प्राप्त रोजगार की जानकारी पटल पर रखें। **(ख)** जाब फेयर योजना के अंतर्गत उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में योजना आरंभ काल से कितने-कितने रोजगार मेले आयोजित किए गए और प्रत्येक रोजगार मेले में कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला? पूर्ण विवरण दें। **(ग)** क्या उज्जैन नगर निगम में आई.टी. पाठ्यक्रम से युवा उद्यमियों को कहाँ-कहाँ रोजगार प्राप्त हुआ? **(घ)** मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में उज्जैन ज़िले के कितने युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण मिला और और कितने युवाओं को प्लेसमेंट मिला? योजना के आरंभ काल से पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। **(ड.)** युवा स्वाभिमान योजना और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने युवा उद्यमियों को तैयार किया गया है? प्रशिक्षण प्राप्त युवा को रोजगार की गारंटी क्या सरकार

द्वारा दी गई है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाने पर कोई विचार कर रही है? यदि हाँ तो विधानसभा में कब तक युवाओं को रोजगार देने के लिए गारंटी अधिनियम बनाने का मसौदा आएगा? कब तक प्रस्ताव तैयार होगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** उज्जैन नगर निगम द्वारा युवा उद्यमी योजना में आई.टी. पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले में नगर निगम उज्जैन के द्वारा कोई भी लक्ष्य नहीं दिया गया था। **(घ)** मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना अन्तर्गत उज्जैन जिले में योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक कुल 1482 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया एवं पोर्टल पर दर्ज जानकारी अनुसार 688 प्रशिक्षणार्थियों का वैतनिक/स्वरोजगार नियोजन प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कराया गया। **(ड.)** योजना में युवा उद्यमियों को तैयार करने का प्रावधान नहीं है। युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत उज्जैन जिले में कुल 330 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 898 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा युवा स्वाभिमान योजना 22 फरवरी, 2019 से प्रदेश में लागू की गई है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण एवं 01 वर्ष में अधिकतम 100 दिवस का अस्थाई रोज़गार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। वर्तमान में योजना संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

दिनांक 3 मार्च, 2021

मंदिरों के पुजारियों को मानदेय का प्रदाय

[संस्कृति]

4. अता.प्र.सं.110 (क्र. 2670) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दि. 01-01-16 से 31-01-21 तक महिदपुर वि.स. क्षेत्र के कितने मंदिरों को कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** यह भी बतावें कि कितने पुजारियों का मानदेय किस समय से लंबित है? प्रश्न दिनांक तक बतावें। **(ग)** इन्हें मानदेय कब तक प्रदान कर दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** प्रश्नाधीन अवधि में महिदपुर वि.स. क्षेत्र के किसी भी मंदिर को कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है. **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है.] **(ख)** पुजारियों के मानदेय हेतु ग्लोबल मद 6225 अंतर्गत राशि रूपये 32.00 करोड़ का प्रवाधान है जिसमें से पुजारियों नियमित भुगतान हेतु विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2021 को निर्देश जारी किये जा चुके है। **(ग)** प्रश्नांश ''ख''' के अनुसार।

शासन के जारी निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

5. परि.अता.प्र.सं. 108 (क्र. 2779) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण समाप्त किये जाने बाबत् आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो प्रति देते हुए बतावें। अगर नहीं जारी किए गए तो इस पर कार्यवाही किये जाने बाबत् क्या नीति है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार अगर प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण समाप्त किये जाने बाबत्। निर्देश/आदेश जारी है जो शहडोल जिले में कितने अधिकारी/कर्मचारी किन-किन विभाग व पदों पर प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण के तहत कब से पदस्थ होकर कार्य कर रहे हैं? लेकिन उनको मूल पद के विभाग में वापस नहीं किया गया तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) के पालन के प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण में पदस्थ होकर कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारियों की कब तक मूल पद पर वापस पदांकन किया जावेगा? अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार जारी निर्देश का पालन एवं प्रश्नांश (ख) के प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण के तहत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की प्रश्नांश (ग) अनुसार मूल पद व विभाग के मूल पद पर वापस न करने के लिये किन-किन की जिम्मेदारी है? उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिनांक 29 फरवरी, 2008 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1** एवं संलग्नीकरण समाप्त किये जाने के संबंध में परिपत्र दिनांक 04 जून, 2019 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार**। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के निर्देश जारी नहीं किये गये है। संलग्नीकरण समाप्ति के निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। विभिन्न स्तर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति एवं परिनियोजन की कार्यवाही की गई है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं "4" अनुसार। (ग)** कार्यालयीन कार्य व्यवस्था के तहत परिनियोजित कर्मचारियों को संबंधित कार्यालयों में पद पूर्ति होने पर मूल पद पर वापस पदांकन संभव होगा। **(घ)** संलग्नीकरण कार्यादेशित कर्मचारियों के आदेश समाप्त किये जा चुके है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार।** प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण की कार्यवाही के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं।

दिनांक 9 मार्च, 2021

नागदा-खाचरौद क्षेत्र में कौशल विकास योजना में अनियिमतता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

6. परि.अता.प्र.सं. 113 (क्र. 3991) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री कौशल

विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत नागदा-खाचरौद में कितने सेंटर संचालित हैं? प्रत्येक का नाम सहित विवरण दें। **(ख)** उपरोक्त समयावधि में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत नागदा-खाचरौद में कौन-कौन से कोर्स कराये जाते हैं? वर्तमान में कौन से कोर्स किस सेंटर के माध्यम से संचालित हैं? **(ग)** उपरोक्त समयावधि में उपरोक्त सभी योजना अंतर्गत शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु उपलब्ध कराई जाती है? प्रत्येक छात्र संख्यावार, योजनावार पृथक-पृथक संपूर्ण विवरण दें। **(घ)** नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में उपरोक्त सभी योजना अंतर्गत प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन विद्यार्थियों को कोर्स कराये गये तथा उनको कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? विद्यार्थी का नाम, कोर्स का नाम, राशि, कार्यविधि, ट्रेनिंग वाली संस्था के नाम सहित संपूर्ण विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** (1) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य कम्पोनेन्ट के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में नागदा खाचरौद में स्किल रूट, 154/2, राधिका परिसर, प्रकाश नगर जंक्शन, नागदा प्रशिक्षण प्रदाता का एक ही सेंटर संचालित था। (2) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में नगर पालिका परिषद्, खाचरौद की जानकारी निरंक है एवं नगर पालिका परिषद्, नागदा में संचालित किये गये सेंटर की संख्या 09 थी। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार** है। (3) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत प्रश्नाधीन अवधि में नागदा-खाचरौंद में 02 कुल सेंटर संचालित थे। विवरण निम्न है :- 1. स्किल्स रूट एडूटेक कंसलटिंग इंडिया प्रा.लि., वार्ड नं; 23 महिदपुर रोड राजस्व कॉलोनी, नागदा 2. आईदक्ष ट्रेनिंग एकेडमी प्रा.लि., वार्ड नं. 28 जीए, एनएच-17, बिरलाग्राम, नागदा **(ख)** (1) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नागदा में कोर्स एवं सेंटर की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	सेंटर का नाम	संचालित कोर्स का नाम
1	स्किल रूट	सेल्फ एम्पलाईड टेलर
		डाक्यूमेंटेशन असेसमेंट

खाचरौद में इस अवधि में कोई भी केन्द्र संचालित नहीं था। (2) राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद् खाचरौद की जानकारी निरंक है एवं नागदा में प्रश्न अवधि में कराये गये कोर्स की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार** है। वर्तमान में नागदा में योजना अंतर्गत कोई कोर्स व सेंटर संचालित नहीं किये जा रहे है। (3) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "2" अनुसार** है। **(ग)** (1) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "3" अनुसार** है। (2) उपरोक्त समयावधि में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत नगर पालिका परिषद्, खाचरौद की जानकारी

निरंक है एवं नगर पालिका परिषद् नागदा को राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना अन्तर्गत शासन से कुल राशि रूपये 16,000,000/- प्राप्त हुये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "4" अनुसार** है। (3) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत योजना में स्वीकृत परियोजना हेतु एक मुश्त राशि संस्था को प्रदाय की जाती है। **(घ)** (1) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "3" अनुसार** है। (2) नगर पालिका परिषद्, नागदा में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत प्रश्न अवधि में 530 विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स कराये गये तथा 82 विद्यार्थियों को यूनिफार्म सहायता राशि रूपये 82000/- प्रदान की गई है, जिसमें विद्यार्थियों का नाम, कोर्स का नाम, कार्याविधि, ट्रेनिंग देने वाली संस्था की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "5" अनुसार** है। (3) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में स्वीकृत परियोजना हेतु एक मुश्त राशि संस्था को प्रदाय की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "2" अनुसार** है।

दिनांक 15 मार्च, 2021

गुणवत्ताविहीन खाद्यान्न वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

7. परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 2873) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों व अन्य श्रेणियों में पंजीकृत पात्र हितग्राहियों को सस्ता गेहूं, चावल, दाल, तेल, नमक व शक्कर इत्यादि खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई? **(ख)** यदि हाँ तो रतलाम जिले को वर्ष 2020 के माह नवम्बर से लेकर प्रश्न दिनांक तक कुल कितना आवंटन प्राप्त होकर जिले के अंतर्गत कितना खाद्यान्न वितरण हुआ? **(ग)** अवगत कराएं कि प्रदेश में जिलेवार खाद्यान्न वितरण किस परिवहन प्रक्रिया के माध्यम से जिलों में भेजा जाता है? रतलाम जिले की जानकारी दें। **(घ)** जानकारी दें कि गुणवत्ता विहीन गेहूं, चावल प्रदेश को प्राप्त हुए तो किस सक्षम अधिकारी अथवा अधिकृत एजेंसी द्वारा गुणवत्ता के प्रमाणीकरण व भौतिक सत्यापन किये? इस हेतु कौन जिम्मेदार होगा तथा रतलाम जिले अंतर्गत यदि अनियमितता की जानकारी प्राप्त हुई तो किस प्रकार जांच की जाकर क्या कार्यवाहियां की? जिलेवार प्राप्त शिकायतों पर जांच व की गई कार्यवाहियों से अवगत कराएं।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सम्मिलित पात्र परिवारों को गेहूं, चावल, नमक एवं शक्कर तथा माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न एवं दाल का वितरण कराया गया। **(ख)** रतलाम जिले में माह नवम्बर, 2020 से प्रश्न दिनांक तक आवंटित एवं वितरित सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** रतलाम जिले में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल

सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत नियुक्त परिवहनकर्ताओं के वाहनों के माध्यम से जिले के प्रदाय केन्द्रों से सीधे उचित मूल्य दुकानों पर सामग्री का प्रदाय किया जाता है। **(घ)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 7 में खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच एवं परीक्षण प्रावधानित है। भंडारगृहों से उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न प्रदाय के पूर्व खाद्य विभाग, वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों की जिला/विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा खाद्यान्न के स्टेक की गुणवत्ता जांच कर प्रदाय हेतु स्टेको का चयन किये जाने के निर्देश है तथा यह अधिकारी खाद्यान्न के प्रमाणीकरण एवं भौतिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार है। जिला रतलाम, 2899 बोरे विनायक इण्डसट्रीज, सतना, 3891 बोरे, सिवनी में दीपक राईस मिल, आरती राईस मिल, महालक्ष्मी राईस मिल एवं त्रियम्बक राईस मिल से एवं 466 बोरे फेयर एण्ड फूड ओवरसीज, कटनी से गुणवत्ताविहीन चावल प्राप्त हुआ था। जिसे संबंधितों को वापस किया गया। शेष जिलों में प्रश्न दिनांक तक गुणवत्ताविहीन गेहूं एवं चावल प्राप्त होने के प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 17 मार्च, 2021

आदिवासी क्षेत्रों में पलायन।

[जनजातीय कार्य]

8. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 4177) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिवासी बहुल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं? पलायन रोकने के लिए शासन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? **(ख)** आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिवर्ष पलायन होने के क्या कारण हैं? पलायन के कारणों की जांच करने एवं रोकने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की सिफारिश हेतु शासन द्वारा कोई समिति गठित की गई? (1) यदि हाँ तो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विवरण उपलब्ध कराएं। रिपोर्ट पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा दें। (2) यदि नहीं, तो विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक समिति गठित की जाएगी? क्या शासन आदिवासी बहुल क्षेत्रों से पलायन नहीं रोकना चाहता है? **(ग)** क्या पांचवीं अनुसूची का अनुपालन नहीं होने एवं शासन की कार्यान्वित विकास परियोजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण आदिवासी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है? शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? आदिवासी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी कम होने के क्या कारण हैं? **(घ)** मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2018 प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों ने पलायन किया? माह-वर्षवार ब्यौरा दें। **(ड.)** मनावर विधानसभा क्षेत्र में अवैध रुप से मजदूरों का पलायन कराने वाले कितने बसों और अन्य वाहनों को पकड़ा गया, उन वाहन मालिकों-ड्राईवरों पर किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक के वाहन-नंबर, मालिकों-ड्राईवरों के नाम, तिथिवार कार्यवाही का ब्यौरा दें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ अस्थाई रूप से पलायन करते हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में पलायन रोकने के लिये मनरेगा योजना

अन्तर्गत पंचायत स्तर पर कार्य की मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। **(ख)** मौसमी रोजगार हेतु अस्थाई पलायन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में पलायन रोकने के लिये मनरेगा योजना अन्तर्गत पंचायत स्तर पर कार्य की मांग करने पर एक परिवार को 100 दिवस का मजदूरी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मांग अनुसार जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नियमानुसार मजदूरी की दरें निर्धारित हैं। कम भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मनावर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीणों का रोजगार के लिये अस्थाई रूप से पलायन एवं वापस आना सतत प्रक्रिया होने से निश्चित संख्यात्मक आंकड़े निर्धारित नहीं हैं। **(ड.)** मनावर विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से मजदूरों को पलायन कराने वाली बसों के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासी में परिवर्तन किये जाने में अनियमितता

[जनजातीय कार्य]

9. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 4449) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1942 दिनांक 23.12.2019 के खण्ड "क" के सन्दर्भ में बताएं कि विभाग के पास आदिवासी काश्तकार तथा खेतीहर मजदूर की जानकारी तथा आदिवासी कृषक जोतों के आकार की जानकारी नहीं है तो वह आदिम जाति कल्याण की जमीनी हकीकत वाली योजना कैसे बनाता है? **(ख)** क्या विभाग को पता है कि आदिवासी की पिछले 10-15 वर्ष में 08 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन गैर आदिवासी ने खरीद कर आदिवासियों की खेतीहर मजदूर बना दिया? क्या सरकार आदिवासियों की जमीन बेचने की धारा 165 (6) की अनुमति हटायेगी ताकि आदिवासी को उसकी जमीन का पूरा दाम मिल सके तथा भूमाफिया तथा अधिकारियों की षड़यंत्रकारी लूट से आदिवासी को बचाया जा सके?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांश में उल्लेखित जानकारी का संकलन विभाग स्तर पर नहीं किया जाता है। आदिम जाति कल्याण के लिए कृषि अथवा अन्य जमीन से जुड़ी योजनाएं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा तैयार न की जाकर संबंधित विभाग द्वारा तैयार की जाती है। **(ख)** जी नहीं। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता में धारा 165 (6) आदिवासियों की भूमि तथा इनके हित के संरक्षण की दृष्टि से प्रावधानित है। अतः हटाये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 18 मार्च, 2021

रोजगार गारंटी अंतर्गत भ्रष्टाचार की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ता.प्र.सं. 16 (क्र. 5124) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत गंधवानी की ग्राम

पंचायत जीराबाद, रेहड़दा, कोसदना, जामली एवं खोजाकुआ में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीन का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया? **(ख)** प्रश्नांकित (क) अनुसार मजदूरी भुगतान में धांधली की गई है एवं मजूदरों के खाते बदलकर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया? यदि हाँ तो इसकी जांच कब तक की जायेगी? **(ग)** वर्ष 2014 -15 से प्रश्न दिनांक तक रोजगार गारंटी योजना, अंतर्गत किये गये कार्यों की एवं भौतिक सत्यापन की जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8100 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है, कोविड परिस्थितियों के कारण तत्समय जांच दल के द्वारा जांच नहीं की जा सकी, जांच की प्रक्रिया प्रचलन में है। **(ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार। **(ग)** उत्तरांश 'क' अनुसार जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा जी.एस.टी. की राशि जमा न करना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. परि.अता.प्र.सं. 134 (क्र. 5784) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज की ग्राम पंचायत भौंरिया, पामाखेड़ी, अमीरगढ़, भगवंतपुर, पगरानी, चौड़ाखेड़ी तथा विकासखण्ड लटेरी की उनारसीकलां, सेमरा मेघनाथ, मड़ावता, झूकरजोगी, मूडरा रतनसी, सावनखेड़ी द्वारा 1 अप्रैल, 2018 से 28 फरवरी, 2021 तक किन-किन कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के बिलों का भुगतान किस-किस फर्म एवं दुकानों को कब-कब किया गया एवं कितनी-कितनी जी.एस.टी. की राशि विभाग को प्राप्त हुई है? बतलावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि जी.एस.टी. की राशि जमा नहीं की गई है तो कब तक जी.एस.टी. की राशि जमा करवाने हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यादव ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन GSTIN-23AXCPB1843P1ZL बैंक खाता नंबर 373401010033069 यूनियन बेंक शाखा सिरोंज एवं संस्कार ट्रेडर्स लटेरी द्वारा कितना-कितना जी.एस.टी. जमा किया गया है? पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। यदि जी.एस.टी. की राशि जमा नहीं की गई है तो कब तक राशि जमा करवा ली जावेगी? राशि जमा न करवाने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? यादव ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन के मालिक/संचालक के नाम एवं इनके ग्राम पंचायत भौंरिया के सरपंच के साथ व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक कौन से रिश्ते हैं? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की सामग्री क्रय करने हेतु जी.एस.टी. की राशि जमा करने के क्या नियम एवं निर्देश हैं? नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नहीं।

(ग) उत्तरांश "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 51 में आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स)/सर्विस प्रोवाईडर्स द्वारा अधिनियम में विनिर्दिष्ट विभागों/संस्थाओं को की गई आपूर्ति पर उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि पर स्त्रोत पर कटौती (टी.डी.एस.) किए जाने के प्रावधान हैं। प्रावधानों के अनुसार एक अनुबंध के तहत रूपये 2.50 लाख से अधिक का भुगतान व्यय होने की स्थिति में भुगतान योग्य राशि में से एक प्रतिशत सी.जी.एस.टी. एवं एक प्रतिशत एस.जी.एस.टी. का टी.डी.एस. किये जाने के प्रावधान हैं। यह प्रावधान दिनांक 01.10.2018 से लागू किये गये।

दिनांक 19 मार्च, 2021

विगत 3 वर्षों से एक ही कार्यालय में कार्यरत कर्मी

[सामान्य प्रशासन]

12. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 4646) श्री महेश राय : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले के जिला कोषालय, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, वन, राजस्व, विद्युत, पंचायत इत्यादि विभागों में विगत 3 वर्षों से एक ही कार्यालय एवं एक ही शाखा में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? **(ख)** मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार एक ही कार्यालय में एक ही शाखा में कितने वर्ष तक कार्यरत रहने का प्रावधान है? **(ग)** यदि समय-सीमा निर्धारित है तो विभाग द्वारा उनका स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया? **(घ)** 3 वर्षों से एक ही कार्यालय एवं एक ही शाखा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानातरण कब तक कर दिये जायेंगे?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 की कंडिका 11.4 में प्रावधान अनुसार जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया ही जावे। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कलेक्टर जिला सागर से प्राप्त जानकारी अनुसार सागर जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों से एक ही कार्यालय एवं एक ही शाखा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की विभागवार जानकारी निम्नानुसार है :- जिला कोषालय-29, स्कूल शिक्षा विभाग-98, उच्च शिक्षा विभाग-प्राचार्य इंदिरा गांधी इंजी. महाविद्यालय में 01-01 कर्मचारी तथा प्राचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में 216, वन विभाग- 17, राजस्व विभाग-31, विद्युत-508, पंचायत विभाग-निरंक **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 22 मार्च, 2021

धान का उपार्जन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

13. अता.प्र.सं.17 (क्र. 3824) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का धान का उपार्जन किया गया है? लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जिलावार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांकित किन-किन जिलों में कितनी-कितनी मात्रा में उपार्जन एवं भण्डारित धान किस कारण से खराब, सड़गल गया एवं नष्ट हुआ है। कितनी मात्रा में चोरी हुआ है? इससे शासन को कितनी राशि की आर्थिक क्षति हुई है? शासन ने इसके लिये दोषी अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की है। **(ग)** प्रश्नांकित किन-किन जिलों में कितनी-कितनी मात्रा में धान की मिलिंग कराई है? जांच में कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी मात्रा में चावल घटिया, अमानक स्तर का पाया गया है एवं कितनी-कितनी मात्रा में रिजेक्ट किया गया है? मिलर्स को कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि का घटिया, रिजेक्ट चावल वापिस किया गया है? **(घ)** कटनी एवं बालाघाट जिले में कब से कौन-कौन खाद्य गुणवत्ता नियंत्रक के पद पर पदस्थ ने कब-कब, कहाँ-कहाँ पर धान व चावल के नमूनों की जांच की है? जांच में कहाँ-कहाँ के कितने-कितने नमूने घटिया व अमानक पाये हैं एवं कितनी-कितनी मात्रा में चावल को रिजेक्ट किया गया है? रिजेक्ट, घटिया व अमानक चावल का क्या उपयोग किया गया?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में समर्थन मूल्य पर जिलेवार उपार्जित धान की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन हेतु लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में जिलेवार खराब/चोरी हुई धान की मात्रा एवं मूल्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। ओपन केप में भंडारित धान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई है जिसके लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराने एवं इसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। अमानक स्तर की रिजेक्ट की गई चावल की मात्रा मिलर्स को वापिस किए गए अमानक स्तर की चावल की मात्रा एवं उसके मूल्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(घ)** कटनी एवं बालाघाट जिले में पदस्थ गुणवत्ता नियंत्रक एवं उनके द्वारा धान व चावल के नमूने की जांच का विवरण, रिजेक्ट किए गए चावल की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार** है। अमानक चावल को संबंधित मिलर्स को वापस कर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजना के अंतर्गत उपयोग किया गया है।

खाद्यान्न का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

14. परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 4710) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा कोविड 19 में शासकीय उचित मूल्य राशन विक्रेताओं को पी.ओ.एस. मशीन को स्थगित कर हितग्राही उपभोक्ताओं के अंगूठे लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर वितरण पंजी से खाद्यान्न का वितरण करने हेतु कब क्या दिशा निर्देश जारी किये गये थे? आदेश की छायाप्रति दें। **(ख)** क्या प्रश्नांकित जारी दिशा निर्देश के तहत शासकीय उचित मूल्य राशन विक्रेताओं ने हितग्रहियों उपभोक्ताओं को वितरण पंजी के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया हैं जिसका समायोजन पोर्टल पर अभी तक नहीं किया गया है। यदि हाँ तो क्यों? **(ग)** क्या शासन ने दिनांक 22/12/2020 को आदेश जारी कर अक्टूबर 2019 से फरवरी 2021 तक वितरण पंजी के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित खाद्यान्न का पी.ओ.एस. मशीन से समायोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं इस संबंध में मा. म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रं. 531/2021 में दिये गये निर्देश का पालन कराने हेतु शासन ने कब क्या कार्यवाही की हैं? आदेश की छाया प्रति दें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कोविड-19 कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने हेतु पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन वितरण की अनिवार्यत: को शिथिल किया गया था। पात्र परिवारों को पी.ओ.एस. मशीन से समग्र आई.डी. के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई थी, इस संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** कोरोना काल की लॉकडाउन अवधि में भी पी.ओ.एस. मशीन से ही राशन वितरण की व्यवस्था की गई थी। उचित मूल्य दुकानों की पी.ओ.एस. मशीन खराब होने की अवधि में पंजी से वितरित सामग्री एवं पी.ओ.एस. मशीन के सेवा प्रदाता के परिवर्तन होने से दुकान पर नवीन पी.ओ.एस. मशीन लगाए जाने के कारण पोर्टल पर दर्ज राशन सामग्री का स्टॉक में परिलक्षित अंतर के समायोजन हेतु पंजी से वितरित मात्रा की प्रविष्टि का विकल्प ई-उपार्जन पोर्टल पर जिलों को उपलब्ध कराया गया था। जिलों द्वारा प्रविष्ट मात्रा का समायोजन किया जा चुका है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 531/2021 में प्रतिवादी क्रमांक-3 कलेक्टर, जबलपुर को वितरण पंजी के माध्यम से वितरित सामग्री के समायोजन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में अभ्यावेदन का निराकरण करने हेतु आदेशित किया गया था। जबलपुर जिले में जिन उचित मूल्य दुकानों से वितरण पंजी से राशन सामग्री का वितरण किया गया था, उनका उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति से सत्यापन कराया गया था, उनके समायोजन की कार्यवाही की जा चुकी है। वितरण पंजी से वितरित की गई सामग्री की पोर्टल पर प्रविष्टि के संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

अवैध रेत उत्खनन में लिप्त वाहनों को राजसात किया जाना

[खनिज साधन]

15. अता.प्र.सं.60 (क्र. 5606) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन में लिप्त 3812 से अधिक ट्रेक्टर-ट्राली एवं 1509 से अधिक डंपर और ट्रक तथा 182 जे.सी.बी. जब्त की गई है? जैसा कि दिनांक 13 फरवरी 2021 को प्रदेश के समाचार-पत्रों में माफिया एवं अपराध मुक्त मध्यप्रदेश का संकल्प के सरकारी विज्ञापन में उल्लेख किया है? **(ख)** यदि हाँ तो प्रदेश के किस-किस जिले में किन-किन माफियाओं के ट्रेक्टर-ट्राले, डंपर, ट्रक एवं जे.सी.बी. जप्त की गई है? उक्त वाहनों के मालिकों के नाम, पते एवं वाहन क्रमांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** उक्त वाहनों में से कितने वाहनों को राजसात किया गया है और कितने वाहनों को चालानी कार्यवाही कर छोड़ा गया है? **(घ)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन के विरूद्ध प्रदेश के किन-किन आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं तथा कितने मामलों में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है? बतायें।

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में वन विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर ट्रेक्टर, ट्राली, डम्पर, जे.सी.बी. आदि जप्त किए जाते हैं, परंतु इस प्रकार की विभिन्न विभागों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं रखी जाती है। किसी प्रकरण विशेष की जानकारी चाहे जाने पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। शेष प्रश्न के संबंध में जनसंपर्क विभाग के पत्र दिनांक 15/03/2021 से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित** है। **(ख)** प्रदेश स्तर की इस प्रकार की एकजाई जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं रखी जाती है, इसलिए उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी प्रकरण विशेष की जानकारी चाहे जाने पर उपलब्ध कराई जा सकती है। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तर प्रश्नांश (ख) में दिए गए उत्तर अनुसार है।

सहकारिता अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर आर्थिक अपराध के प्रकरण

[सहकारिता]

16. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 5889) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में 01 जनवरी 2019 पश्चात कहाँ-कहाँ पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर आर्थिक अपराध के कितने प्रकरण प्रकाश में आये? जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रकरणों में कितने प्रकरणों को पुलिस विभाग विभाग को सौंप कर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई तथा कितने प्रकरणों में विवेचना विभागीय स्तर पर चल रही है?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में 1 जनवरी 2019 के पश्चात सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आर्थिक अपराध

प्रकोष्ठ एवं लोकायुक्त कार्यालय में पंजीबद्ध प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश "क" में उल्लेखित प्रकरणों को विभाग द्वारा पुलिस विभाग को नहीं सौंपा गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासन के नियमानुसार समय-सीमा पर विभागीय जांच
[सहकारिता]

17. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 5894) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्न क्रमांक 648 दिनांक9/7/2019 को माननीय मंत्री जी द्वारा दिया था कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो उक्त कार्यवाही किस अधिकारी पर प्रक्रियाधीन थी? मूल पद एवं नाम बताएं। उक्त अधिकारी की किस-किस संबंध में विभागीय जांच कब से कौन अधिकारी कर रहा है? उक्त अधिकारी का मूल पद एवं नाम बताएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या विभागीय जांच करने वाले अधिकारी द्वारा शासन के नियम के अनुसार उक्त अधिकारी को विभागीय जांच के पूर्व या उपरांत निलंबित किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। क्या शासन के नियम के अनुसार निर्धारित समय पर जांच को पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ तो संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें। क्या शासन निर्धारित समय पर जांच अधिकारी द्वारा जांच न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** जिला छतरपुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं विभाग को वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। श्री अखिलेश कुमार निगम, उपायुक्त सहकारिता। 05 प्रकरण में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं, जिसके विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित किया ही जायेगा ऐसा नियमों में प्रावधान नहीं है। **(ग)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं छतरपुर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

गृह निर्माण सहकारी समिति के संबंध में
[सहकारिता]

18. अता.प्र.सं.151 (क्र. 6151) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल नगर के कोलार क्षेत्र में राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति नियमानुसार पंजीबद्ध है? यदि हाँ तो पंजीयन की छायाप्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या कोलार में (दामखेड़ा के निकट) राजहर्ष सी-सेक्टर हेतु प्रकरण क्रमांक 23/अ-2/86-87 दिनांक

19.12.1986 के अनुसार लगभग 15 एकड़ भमि का आवासीय प्रायोजन हेतु नियमानुसार डायवर्सन कराया गया है? भवन निर्माण की अनुज्ञा ली है? **(ग)** क्या माननीय न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश) के प्रकरण क्रमांक 124-ए/2001 के निर्णय में जो दिनांक 18.10.2001 में प्रशासन ने रहवासियों के उपयोगार्थ उत्कृष्ठता संस्थान की बाउन्ड्रीवाल के किनारे 30 फीट का मार्ग जो चूनाभट्टी को जोड़ता है होने की बात स्वीकारी है? **(घ)** क्या जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) ने प्रश्नांश (ग) में वर्णित मार्ग को अनाधिकृत तरीके से बंद कर दिया है जिससे जनसामान्य को असुविधा हो रही है? यह मार्ग कब तक खोल दिया जायेगा तथा इसके लिए दोषियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** जी हाँ। तहसीलदार तहसील कोलार के पत्र क्रमांक 107 दिनांक 13-03-2021 अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-2/86-87 आदेश दिनांक 19-12-1986 से ग्राम दामखेडा की भूमि खसरा क्रमांक 16/1/1 एवं 19/03/01 कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ का डायवर्सन आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन निर्माण अनुज्ञा नगर निगम भोपाल द्वारा नियमों के अनुरूप दी जा रही है। **(ग)** जी हाँ, अपितु माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के व्यवहार वाद क्रमांक 124-ए/2001 निर्णय दिनांक 18-10-2001 के पैरा-चार अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 04 (मध्यप्रदेश शासन) के उत्तर अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 02 (डायरेक्टर, उच्च शिक्षा, उत्कृष्टता संस्थान वाल्मी के पास, भोपाल) को क्षेत्र के किनारे 30 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध कराई गई है, जिसका वादी (राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित) उपयोग कर सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्वत्व निर्धारण संबंधी निर्णय नहीं लिया गया था। मात्र पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया था। प्रकरण में वाल्मी की भूमि होते हुये भी वाल्मी को पक्षकार नहीं बनाया गया था, न ही वाल्मी की कोई सहमति ली गई थी, इस कारण पारित आदेश वाल्मी पर लागू नहीं होता है। **(घ)** वाल्मी की भूमि के लगी हुई राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि, भोज मुक्त विश्वविद्यालय परिसर तथा उच्च शिक्षा, उत्कृष्टता संस्थान का परिसर भी है। भोज मुक्त विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण कार्य हेतु पहुंच मार्ग न होने की स्थिति में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) द्वारा अपनी निजी भूमि से आवागमन हेतु भोज मुक्त विश्वविद्यालय को अस्थाई तौर पर रास्ता उपलब्ध कराया गया था। भोज मुक्त विश्वविद्यालय निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा रास्ते का उपयोग बंद कर दिया गया। वाल्मी द्वारा अपनी अचल संपत्तियों की सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया गया। समिति के द्वारा अस्थाई मार्ग को अपना रास्ता बताते हुये वाल्मी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। वाल्मी द्वारा मानवीय आधार पर स्वयं के व्यय से वैकल्पिक मार्ग निर्मित कराकर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका उपयोग समिति द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में यह प्रकरण आयुक्त भोपाल संभाग के समक्ष विचाराधीन है। राजहर्ष सी सेक्टर के रहवासियों को समीप में नवनिर्मित ब्रिज से आवागमन की सुविधा हेतु मार्ग उपलब्ध है।

दिनांक 24 मार्च, 2021

संलग्नीकरण करने के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

19. परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 5096) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण पर पूर्णत: रोक लगी है? यदि हाँ तो कटनी एवं सतना जिले में किस-किस को संलग्न किया गया है? **(ख)** क्या शासन एवं आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा संलग्नीकरण एवं जिसका वेतन जिस स्थान से निकल रहा है उस स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में यदि किया गया है तो व्यवसायिक शिक्षा के व्याख्याता किस आदेश के तहत विभिन्न कार्यालय में संलग्न है? **(घ)** यदि अभी भी जबलपुर एवं रीवा संभाग में व्याख्याता संलग्न है तो क्या दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी और अन्य विभाग में जो शिक्षक एवं अन्य प्रतिनियुक्ति पर है उन्हें कब तक विभाग में वापस किया जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** जी हाँ। डाईट सतना से श्री आनंद रावत, भृत्य को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराज नगर जिला सतना में संलग्न किया गया है। शेष संलग्नीकरण संबंधी जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** संचालनालय के आदेश दिनांक 17.11.2016 के तहत। **(घ)** जी हाँ, पुरानी व्यावसायिक शिक्षा के ऐसे ट्रेड जो वर्तमान में कौशल अनुरूप नहीं है, बंद किये गये है। प्रचलित ट्रेड अनुसार शालाओं में विद्यार्थी नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** जी हाँ। वर्तमान में कोई संलग्नीकरण नहीं है।

पंधाना विकासखण्ड को जनजातीय विकासखण्ड का दर्जा

[जनजातीय कार्य]

20. परि.अता.प्र.सं. 73 (क्र. 6267) श्री राम दांगोरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पंधाना विधानसभा क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या कितनी है? इस वर्ग की सुविधाओं और विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं? **(ख)** क्या पंधाना विकासखण्ड को जनजातीय विकासखण्ड को दर्जा दिया जाना चाहिये? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ग)** क्या पंधाना स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय का नाम शहीद जननायक टंटया भील शासकीय महाविद्यालय करेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** पंधाना विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 154072 है। इस वर्ग की सुविधा एवं विकास हेतु विधानसभा पंधाना के 34 जनजाति बाहुल्य ग्राम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना खण्डवा एवं 05 ग्राम मॉडा पॉकेट पिपलकोटा में शामिल है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2003 में पंधाना विकासखण्ड

नहीं होने से जनजातीय विकासखण्ड़ का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है। **(ग)** शासकीय महाविद्यालय पंधाना का नाम शहीद जननायक टंटया भील शासकीय महाविद्यालय करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

आष्टान्न योजनान्तर्गत सामुदायिक भवन निर्माण

[जनजातीय कार्य]

21. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 6459) श्री संजय यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा जिला जबलपुर में आष्टान्न योजना अंतर्गत 2 करोड़ लागत से स्वीकृति दी गई थी? यदि हाँ तो कब? स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन हो चुका है? यदि हाँ तो कहाँ? यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता द्वारा भूमि चयन हेतु पुराना पानी बड़ादेव मंदिर के पास ग्राम पं. जमुनिया तह. जबलपुर हेतु कलेक्टर जबलपुर को प्रस्ताव पत्र दिया था? उक्त प्रस्ताव पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** पुराना पानी बड़ादेव मंदिर आदिवासियों का महत्वपूर्ण स्थान है तो क्या उक्त भवन निर्माण पुराना पानी ग्राम जमुनिया में कराया जावेगा? यदि हाँ तो विभाग कब तक आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो स्पष्ट कारण बतायें। **(घ)** उक्त प्रश्न के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए किये गये पत्राचार/प्रस्ताव/नस्ती के प्रति उपलब्ध करायें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 26 मार्च, 2021</u>

ई.ओ.डब्ल्यू. दर्ज शिकायत के संबंध में

[सामान्य प्रशासन]

22. अता.प्र.सं.23 (क्र. 5577) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्लॉट न. 106, स्कीम न. 54, रसोमा चौराहा, ए.बी. रोड, इंदौर पर बनी बहुमंजिला बिल्डिंग में होटल EOW, को लेकर जमीन हस्तांतरण व निर्माण संबंधी शिकायतों पर EOW में दर्ज शिकायतों पर आज दिनांक तक की परिचलित कार्यवाहियों की वस्तुस्थिति से अवगत करायें। **(ख)** मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भू-माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत EOW द्वारा रसोमा चौराहे AB रोड इंदौर पर बनी होटल EOW को लेकर क्या कोई कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया सरकार द्वारा की गई हैं? **(ग)** EOW में जनवरी 2021 तक कितने आवेदन विवेचना हेतु लंबित हैं तथा कितने आवेदन पर जांच के बाद प्रकरण दर्ज करने हेतु लंबित हैं? कितने प्रकरणों में आरोपी पर प्रकरण दर्ज करने हेतु शासन से अनुमति हेतु लंबित हैं? **(घ)** वर्ष 2014

से 2020 तक EOW में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कितनी शिकायत निरस्त की गई हैं तथा कितनी पर जांच कर प्रकरण दर्ज किया गया है? **(ड.)** ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज प्रकरणों पर वर्ष 2014 से 2020 तक न्यायालय में कितने प्रकरणों में सफलता प्राप्त हुई है तथा कितने में आरोपी बरी हुए हैं? वर्षवार सफलता का प्रतिशत क्या है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।] **(क)** प्लाट नं. 106 स्कीम नं. 54, रमोसा चौराहा ए.बी. रोड, इंदौर पर बनी बहुमंजिला बिल्डिंग में होटल के जमीन हस्तांतरण व निर्माण संबंधी कार्य से अपराध क्रमांक 43/2019 पंजीबद् किया जाकर विवेचना उपरांत दिनांक 15.03.2021 को माननीय न्यायालय में खात्मा प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। **(ख)** होटल WOW को भूमि हस्तानांतरण व निर्माण संबंधी मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा अपराध क्रमांक 43/2019 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत दिनांक 15.03.2021 को माननीय न्यायालय में खात्मा प्रस्तुत किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। **(ग)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में जनवरी 2021 तक 1770 आवेदन जांच हेतु लंबित हैं। प्रकरण दर्ज करने हेतु शासन से अनुमति हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। **(घ)** उत्तरांश 'घ' के परिप्रेक्ष्य में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। **(ड.)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरणों पर वर्ष 2014 से 2020 तक न्यायालय में 98 प्रकरण में सफलता प्राप्त हुई तथा 47 प्रकरणों में आरोपी बरी हुए। वर्षवार सफलता का प्रतिशत - वर्ष 2014-56.25%, वर्ष 2015-50%, वर्ष 2016-42.10%, वर्ष 2017-76.92%, वर्ष 2018-63.15%, वर्ष 2019-27.27% एवं वर्ष 2020-66.04% हैं।

सहरिया विशेष जनजाति के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]

23. परि.अता.प्र.सं. 56 (क्र. 6488) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में निवासरत विशेष जनजाति सहरिया के कितने प्रकरण जाति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त हुये हैं? कितने प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है? कितने शेष हैं? कितने निरस्त हुये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन कारणों से जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुये हैं? प्रकरणवार पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी योजनायें, कब से, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत की समाज के उत्थान एवं विकास के लिये संचालित हैं? **(घ)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी योजनाओं में कितनी आर्थिक सहायता किस कार्य के लिये, किस-किस मापदण्ड के अनुसार दिए जाने का प्रावधान है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कुल 8400, निराकृत 6363, निरस्त 84, शेष 203**6 (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब" "स" एवं "द" अनुसार। (ग)** एवं **(घ)** प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित समस्त योजनाओं का लाभ सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति को भी मिलता है। सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु

दिसम्बर 2017 से आहार अनुदान योजना विशेष रूप से संचालित है, जिसके तहत कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु इस वर्ग के परिवार के महिला मुखियाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह रूपये 1000/- जमा कराये जाते हैं। योजना नियम एवं मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "इ" अनुसार।**

अगस्त, 2021

दिनांक 9 अगस्त, 2021

मनरेगा के कार्यों का भुगतान।

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 293) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्रमांक 1812 दिनांक 09 मार्च 2021 परि. अतारांकित के भाग (ख) के उत्तर में मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यों की प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट चार के पृष्ठ क्रमांक 177 पर उल्लेखित बताया गया था तो किये गये कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत का नाम/कार्य का नाम/प्रशासकीय स्वीकृति आदेश दिनांक/कार्य पूर्ण करने का दिनांक/मांग संख्या अथवा लेखा शीर्ष अथवा मद/कार्य की लागत/वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। **(ख)** क्या उपरोक्त वर्णित कार्य की जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न उत्तर व संलग्न जानकारी सहित माननीय पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री महोदय को बजट सत्र 2021 के दौरान शिकायत भी की थी? यदि हाँ, तो जांच की प्रक्रिया से अवगत करायें। यदि जांच नहीं की गई तो कारण बतावें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** प्रश्न क्रमांक 1812 दिनांक 09 मार्च 2021 परि.अतारांकित के भाग (ख) के उत्तर में उल्लेखित 1223 कार्यों की वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(ख)** जी नहीं, शिकायत की प्रति प्राप्त होना नहीं पाया गया, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदौर में संचालित कोचिंग संस्थान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

2. अता.प्र.सं.71 (क्र. 359) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर में आई.आई.टी. – एन.आई.आई.टी. परीक्षाओं के छात्र-छात्राओं को तैयारी करवाने की कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं? सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** इन कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रित करने की कोई नीति यदि है तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं और यदि नहीं, है तो क्या शासन कोचिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने हेतु कोई नीति बनाएगा? **(ग)** उक्त कोचिंग संस्थाओं की फीस को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? **(घ)** क्या कल्पवृक्ष कोचिंग गीता भवन इंदौर द्वारा छात्र-छात्राओं से एकमुश्त एडवांस फीस वसूली हेतु दबाव बनाया जा रहा है एवं कोरोना काल में कक्षाएं न लगने के बावजूद वसूली गई लाखों रुपए की फीस न तो वापस की जा रही है और न ही कम की जा रही है, इस संबंध में शासन का क्या पक्ष है? स्पष्ट करें। कोरोना गाइड-लाइन के पालन के संबंध में इस संस्था का कितनी बार और किस प्रकार का अवलोकन करवाया गया है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है।] **(क)** कोचिंग सेंटर स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करते हैं एवं इनका नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अत: कोचिंग सेंटर के संबंध में विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अत: जानकारी निरंक है।

ग्राम पंचायतों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रदाय

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. अता.प्र.सं.80 (क्र. 395) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में दिनांक 01.03.2021 से 30.06.2021 तक ग्राम पंचायतों द्वारा कितने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये गए? ग्राम पंचायतवार संख्या, विधान सभावार, माहवार देवें। **(ख)** प्रत्येक मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति विधानसभावार देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले शमशानों में कितने शवदाह हुए, की जानकारी ग्रामवार, संख्या सहित विधानसभावार देवें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है।

भारत सरकार से प्राप्त आवंटित राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. परि.अता.प्र.सं. 93 (क्र. 435) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 माह जून 2021 तक विभागान्तर्गत कौन-कौन सी योजनाओं की कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रयोजन से कितनी-कितनी अवधि के लिये भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई? योजनावार पृथक-पृथक बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में किस-किस एजेंसी/संस्था/फर्म/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कितनी-कितनी राशि का किया गया? पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मध्यान्ह भोजन की जगह सूखा राशन वितरण की योजना बनाई थी। सूखा राशन वितरण किस एजेन्सी के माध्यम से तथा किसके निर्देश पर किया गया? क्या इस हेतु विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन लिया गया हैं। जानकारी देवें। क्या विभागीय मंत्री जी ने मुख्य सचिव, म.प्र. शासन को जांच कराए जाने हेतु लिखा हैं? यदि हाँ तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं। जांच प्रतिवेदन की प्रति दें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संबंध में जिस फर्म/एजेंसी से उपरोक्त कार्य संपादित कराया गया अथवा कराया जा रहा है वह निर्धारित दरों की तुलना में कितना अधिक है? बिना स्वीकृति के कार्य संपादित करने के कारण विभागीय कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [**(क)** प्रश्नांकित अवधि की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार भोजन पकाने की लागत राशि के समतुल्य मान से सूखा राशन (दाल एवं तेल) की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय भण्डार को कार्यादेश जारी किए गए एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत संलग्न क्रियान्वयन एजेन्सियों यथा स्व-सहायता समूहों, शाला प्रबंधन समितियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वितरण का कार्य कराया गया। ततसंबंध में माननीय मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त किया गया। जी नहीं माननीय मंत्री जी द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. शासन को सूखा राशन (दाल एवं तेल) वितरण के सत्यापन हेतु लेख किया गया न कि जांच हेतु। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** आपूर्तिकर्ता एजेन्सी केन्द्रीय भण्डार द्वारा लक्षित शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों को निर्धारित दरों में ही सूखा राशन (दाल एवं तेल) उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

दिनांक 10 अगस्त, 2021

दायित्वों का निर्वहन न करने वालों पर कार्यवाही

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

5. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 262) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल व रीवा जिले में राज्य सरकार की कौन-कौन सी सम्पत्तियां हैं, तहसीलवार, जिलेवार विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की संपत्तियों की वर्तमान में भौतिक स्थितियां क्या है? पृथक-पृथक जानकारी देवें। इनमें से कौन-कौन सी संपत्तियां कब-कब नष्ट हुई, तो स्थिति पूर्ण विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों में कितनी शासकीय भूमियां नगर पंचायतों व नगर पालिका निगमों में स्थित है? उनकी वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? अगर अतिक्रमण किया गया है, तो किन-किन के द्वारा कब से बतावें? अगर किसी को अनुबंध पर भूमियां दी गई है, तो कब से कब तक व कितनी लागत पर, किन शर्तों के अधीन बतावें? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की परिसम्पत्तियों का रख-रखाव संबंधित जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया गया, संपत्तियां नष्ट हुई, जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया? नियमों व शर्तों से हटकर व्यक्तिगत हितपूर्ति कर निजी लोगों को संपत्तियां दी गई? इसकी जांच कराकर क्या जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** सम्पत्तियों की वर्तमान भौतिक स्थिति सामान्य है। रीवा जिले की नष्ट हुई सम्पत्तियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। कलेक्टर रीवा एवं शहडोल से

प्राप्त जानकारी अनुसार सम्पत्तियों पर अतिक्रमण नहीं है और न ही अनुबंध में भूमियां दी गई है। **(घ)** प्रश्नांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का लाभ देना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. अता.प्र.सं.101 (क्र. 777) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना, मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति, मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत इन योजनाओं में अलग-अलग कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं एवं इनमें से कितने प्रकरणों का निपटारा हुआ है शेष प्रकरणों का कब तक निपटारा किया जायेगा? पूर्ण विवरण दें। **(ख)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के लिये 5 जून 2018 को जारी संविदा कर्मचारियों की नीति का लाभ नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत वेतन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह कब तक दिया जायेगा? **(ग)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कर्मचारी पूर्व में कार्यरत थे उन्हें आउटसोर्स में क्यों शामिल किया गया? उन्हें पूर्ववत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कब तक शामिल कर लिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के लिये 05 जून 2018 को जारी संविदा कर्मचारियों की नीति का लाभ नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत वेतन के संबंध में प्रकरण तैयार कर नस्ती वित्त विभाग को प्रस्तुत की गई थी, वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि कोविड-19 की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय प्रस्ताव पर विचार आगामी वित्तीय वर्ष किये जाने का परामर्श हेतु लेख किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों संघ द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान ही अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये हड़ताल पर चले गये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कर्मचारी संघ की मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुये एवं उनकी सहमति से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को रू. 1000 से 4000/- तक वित्त विभाग की सहमति से अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता (स्वास्थ्य) जून-2021 पेड जुलाई-2021 से प्रदान किया गया। 90 प्रतिशत के प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों एवं सपोर्ट स्टॉफ को आऊटसोर्स के माध्यम से रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ था इस कारण से पूर्व में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किये जा रहे भुगतान को बदलते हुये आऊटसोर्स एंजेसी के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाना संभव नहीं है।] **(क)** मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत कुल प्राप्त आवेदन 1729 नियुक्ति पत्र जारी 911 निरस्त आवेदन 568 नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तैयार 38 एवं प्रक्रियाधीन आवेदन 212 है।

दिनांक 11 अगस्त, 2021

समर्थन मूल्य पर गेहूँ/धान का उपार्जन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

7. अता.प्र.सं.11 (क्र. 112) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग के तहत समर्थन मूल्य किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान का उपार्जन किया गया? इसकी सुरक्षा देखभाल, रखरखाव परिवहन व भण्डारण पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2021 - 22 तक की जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांकित किन-किन जिलों में वेयर हाउसों, ओपन कैप में कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का उपार्जित गेहूँ, धान का भण्डारण किया गया? परिवहन व किराये पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? बेमौसम वर्षा से तथा अन्य किन कारणों से कहाँ-कहाँ पर रखा हुआ उपार्जित कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान खराब हुआ हैं, या सड़ गया है? इसके लिये शासन ने दोषी अधिकारियों पर कब, क्या कार्यवाही की हैं? वर्षवार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांकित किन-किन जिलों में कब से किस-किस अवधि का उपार्जित कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान रखा हुआ हैं? इनमें से कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान खराब हो गया है, सड़ गया है? चोरी हुआ हैं। **(घ)** शासन ने कब-कब कहाँ-कहाँ पर रखा हुआ कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान का विक्रय किस माध्यम से किया हैं? इससे शासन को कितनी-कितनी राशि का नुकसान हुआ हैं। वर्षवार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है।] **(क)** जबलपुर संभाग अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं एवं धान की मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। उपार्जित गेहूं एवं धान की सुरक्षा, देखभाल, रखरखाव, परिवहन व भण्डारण पर व्यय हुई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जबलपुर संभाग अंतर्गत जिलों में वर्ष 2018-19 से 2021–22 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं एवं धान के वेयर हाउसों एवं ओपन कैप में भण्डारित मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। उपार्जित गेहूं एवं धान परिवहन व भण्डारण पर व्यय हुई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। वर्ष 2020-21 में निसर्ग तूफान के कारण हुई असमायिक वर्षा से सिवनी जिले में भंडारित स्कंध के कुछ स्टेक में बाहरी सतह की बोरियों एवं उनके संपर्क में आए खाद्यान्न की आंशिक मात्रा का गुणात्मक, ह्रास हुआ है। छिंदवाडा जिले में वर्ष 2020-21 में 236.56 मे.टन गेहूं की गुणवत्ता का असमायिक वर्षा से भीगने के कारण प्रभावित हुई है। असमायिक वर्षा एवं प्राकृतिक कारणों से उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता प्रभावित होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** वर्ष 2018-19 से 2021–22 तक की अवधि में जबलपुर संभाग के जिलों में समर्थन मूल्य। पर उपार्जित गेहूं एवं धान में से

वर्तमान में भण्डारित गेहूं एवं धान की मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। वर्ष 2020-21 में निसर्ग तूफान के कारण हुई असमायिक वर्षा से सिवनी जिले में भंडारित स्कंध के कुछ स्टेक में बाहरी सतह की बोरियों एवं उनके संपर्क में आए खाद्यान्न की आंशिक मात्रा का गुणात्मक, ह्रास हुआ है। छिंदवाडा जिले में वर्ष 2020-21 में 236.56 मे.टन गेहूं की गुणवत्ता का असमायिक वर्षा से भीगने के कारण प्रभावित हुई है। **(घ)** जी नहीं। जबलपुर संभाग के जिलों में भंडारित गेहूं एवं धान का विक्रय नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

संविदा कर्मचारी के पदों को नियमित पदों में बदलना

[स्कूल शिक्षा]

8. अता.प्र.सं.45 (क्र. 519) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार विभागीय सेटअप बदलने के लिए संविदा कर्मचारियों के पदों को नियमित पदों में बदलने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, निगम मंडलों, विभागों, बोर्ड परिषद्, ओपन स्कूल में प्रथम, द्विवतीय, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कौन-कौन से पद रिक्त हैं? संख्या सहित बतायें। **(ग)** राज्य शिक्षा केन्द्र के सर्वशिक्षा अभियान में संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में कब-कब कौन सी नस्ती चलाई गई? उन पर क्या कार्यवाही हुई? **(घ)** राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए इतने समय बीतने के पश्चात् भी अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05 जून 2018 के परिपालन में भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** एवं **(घ)** दिनांक 18.09.2019 को। सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यवाही विवरण दिनांक 09 अक्टूबर 2019 के बिन्दु क्रमांक 1.15 संविदा नीति अनुसार विभाग द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन/परिवर्तन हेतु शीघ्र कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णयानुसार प्रशासकीय सेट-अप तथा भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

खाद्य विभाग द्वारा राशन का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

9. अता.प्र.सं.50 (क्र. 537) श्री संजय शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र क्र. 01 इन्दौर अंतर्गत खाद्य विभाग

द्वारा कितने पात्र हितग्राहियों को राशन पर्ची का वितरण कराया गया? जोनवार/वार्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला इन्दौर अंतर्गत कितने हितग्राहियों द्वारा स्थाई एवं अस्थाई पर्चियों के लिए आवेदन किया था? माह अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी विधानसभावार/वार्डवार उपलब्ध करावें। आवेदकों में कितने पात्र एवं कितने अपात्र पाये गये? अपात्र होने के क्या कारण है? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खाद्य विभाग द्वारा कितनी-कितनी खाद्य सामग्रियों का आवंटन किन-किन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को कितना-कितना राशन आवंटित किया गया एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों द्वारा हितग्राहियों को कितना अनाज वितरित किया गया? माह अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी प्रतिमाह अनुसार उपलब्ध करावें। **(घ)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा पोर्टल के माध्यम से राशन पर्चियों का आवंटन किया जाता है? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो क्या शासन का पोर्टल कुछ समय से बंद था? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो पोर्टल बंद होने के कारण जिन हितग्राहियों को पर्चियों का वितरण नहीं हो सका है, उन्हें पर्चियाँ वितरण की जायेगी एवं शेष रहे आवेदकों से पुन: आवेदन लेकर राशन वितरण किया जायेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है**।**] **(क)** इंदौर जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक 29,698 परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया है। जोनवार/वार्डवार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इंदौर जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में माह अप्रैल 2020 से 33,652 आवेदकों द्वारा स्थाई एवं अस्थाई पर्ची हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से 29,698 आवेदन पात्र पाये जाने पर पात्रता पर्ची जारी की गई। शेष 3,954 आवेदनों के साथ वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने, पूर्व से राशन प्राप्त करने आदि कारणों से अपात्र पाये जाने के कारण पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा सकी। विधानसभावार/वार्डवार प्राप्त आवेदन एवं जारी पात्रता पर्ची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में माह अप्रैल से प्रश्न दिनांक तक 2020 आवंटित एवं वितरित खाद्यान्न दलहन की माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का आवंटन/वितरण राशन मित्र पोर्टल से किया जाता है। जी नहीं। शासन का पोर्टल सतत रूप से कार्य कर रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राशन वितरण किये जाना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

10. परि.अता.प्र.सं. 66 (क्र. 697) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल जिले में कोरोना काल में राशन वितरण प्रणाली के तहत बी.पी.एल. कार्डधारियों, राशन पर्चीधारी एवं ऐसे गरीब जिनके पास राशन पर्ची नहीं थी उनको राशन प्रदाय किया गया और नहीं तो क्यों? **(ख)** कोरोना काल में मजदूर वर्ग एवं घुमक्कड़ प्रजाति, देहाड़ी व्यापारी, हाथ ठेले वालों को भी राशन प्रदाय किया गया, यदि हाँ तो कितना-कितना एवं

कितने महीने का राशन उपलब्ध कराया गया? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या राशन की दुकानों से गेहूँ का वितरण किया गया अथवा नहीं, यदि वितरित किया गया तो कितना गेहूँ वितरित हुआ एवं प्रदेश में कुल कितने राशन पर्चीधारी है एवं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन पर्ची जारी किया जाना है? राशन पर्ची कब तक जारी हो सकेगी? सूची भी उपलब्ध करायें। **(घ)** क्या राशन की दुकानों से गेहूँ के स्थान पर बाजरा वितरित किया गया? यदि हाँ तो कितना बाजरा वितरित हुआ एवं यह अन्न राशन की दुकानों से कितने महीने वितरित किया गया? क्या आज भी राशन की दुकानों से गरीब वर्ग को बाजरा ही उपलब्ध कराया जा रहा है?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। भोपाल जिले में कोरोना काल की लॉकडाउन अवधि में माईग्रेंट लेबर, बेघर, बेसहारा परिवारों के 3.80 लाख उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई एवं जून, 2020 तक 3,800 मे.टन गेहूँ, 670 मे.टन चावल, 350 मे.टन आटा एवं 50 मे.टन दाल का वितरण किया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** भोपाल जिले में उचित मूल्य दुकानों से माईग्रेंट लेबर, बेघर, बेसहारा परिवारों को 3,800 मे.टन गेहूँ वितरण कराया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 1,15,53,051 परिवार सम्मिलित हैं। माह जुलाई, 2020 से अभी तक 47,09,807 नवीन परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों द्वारा स्थानीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत करने पर पात्र पाए जाने की स्थिति में सत्यापन के आगामी माह में पात्रता पर्ची जारी करने की व्यवस्था है। नवीन परिवारों को जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है। जिन पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जाना है, उसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित बाजरा का वितरण प्रदेश के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण की प्रावधान होने के कारण भोपाल जिले में पात्र परिवारों को गेहूँ के स्थान पर माह जनवरी, 2021 से अगस्त, 2021 तक प्राथमिकता परिवारों को 1 किलो प्रति सदस्य एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 5 किलो के मान से कुल 10185.46 मे.टन बाजरा का वितरण कराया गया। माह सितम्बर, 2021 से पात्र परिवारों को बाजरा का वितरण नहीं किया जा रहा है।

कोरोना से दर्ज मौतों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]

11. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 788) श्री बाला बच्चन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2021 तक कोरोना से कुल कितनी मौतें हुई हैं? कॉलेज नाम, मृतक नाम सहित माहवार जानकारी देवें। **(ख)** दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 तक आक्सीजन की कमी से जिन मेडिकल कॉलेजों में मौत हुई हैं, उनके नाम, मृतक नाम सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार इस

लापरवाही के जिम्मेदारों पर शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की है तो कब तक की जाएगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख)** मेडिकल कॉलेजों में आक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जानकारी निरंक है। **(ग)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में शिक्षकों की कोरोना से मौत

[स्कूल शिक्षा]

12. अता.प्र.सं.106 (क्र. 794) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में दिनांक 01-04-2020 से 30-06-2021 तक कितने शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हुई है? जिलावार संख्या देवें। **(ख)** क्या कारण है कि इनके लिए घोषित 5 लाख रू. की राशि पृथक से न दी जाकर ग्रेच्युटी व अन्य स्वत्वों से काटकर दी जा रही है? यदि किसी मृतक की सेवा राशि 3.5 लाख रू. बनती है तो उसके परिजनों को 1.5 लाख देकर प्रकरण समाप्त किया जा रहा है? ऐसा क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन मृतकों के परिजनों को राशि दी गई है, उनके सेवाकाल के समस्त स्वत्वों की जानकारी और कुल भुगतान राशि नाम सहित बड़वानी,जिले के संदर्भ में देवें। **(घ)** कब तक शासन 5 लाख रू. पृथक से देगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2021 के अनुसार अनुग्रह राशि एवं उपादान की राशि घटाकर दिया जाना प्रावधानित है। उक्त अनुसार राशि प्रदाय की जाती है। **(ग)** बड़वानी जिला अंतर्गत समस्त शासकीय विद्यालय जनजाति कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन है। तत्संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार** है। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

कोविड मरीजों के उपचार की जानकारी।

[चिकित्सा शिक्षा]

13. अता.प्र.सं.118 (क्र. 871) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के किस-किस मेडिकल कालेज के चिकित्सालयों में कुल कितने-कितने कोविड मरीज का उपचार किया गया 15 जुलाई 2021 तक की जानकारी देवें? **(ख)** खण्ड (क) में उल्लेखित मेडिकल कालेज को कोविड के इलाज हेतु 15 जुलाई 2021 तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** खण्ड (क) में उल्लेखित कालेजों में कोविड के उपचार के दौरान कुल कितने मरीजों की मृत्यु कोविड के कारण तथा कितने

मरीजों की मृत्यु अन्य कारणों से हुई जानकारी देवें? **(घ)** रतलाम मेडिकल कॉलेज में 15 जुलाई 2021 तक कुल कितने कोविड मरीजों का उपचार किया गया उसमें से कितने कोविड के कारण एवं कितने अन्य कारण से मृत हुये?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालयों में कोविड मरीजों के उपचार संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार**। **(ख)** प्राप्त राशि एवं व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है।] **(ग)** कॉलेजों में कोविड के उपचार के दौरान मरीजों की मृत्यु की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ)** रतलाम मेडिकल कॉलेज में 15 जुलाई 2021 तक उपचार संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 3 अनुसार।**

कर्मचारियों का संविलियन

[सहकारिता]

14. अता.प्र.सं.123 (क्र. 888) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक/भू.वि.अ./01/2021/160 दिनांक 25/05/2021 द्वारा क्या परिसमापित राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के शेष बचे कर्मचारियों के संविलयन हेतु योजना के समय में वृद्धि की गई है? यदि हाँ, तो बतावें कि किन-किन जिलों में कितने व किन-किन कर्मचारियों का संविलियन शेष है? **(ख)** उल्लेखित शेष कर्मचारियों के संविलियन हेतु किन जिलों में कब-कब गठित कमेटियों की बैठकें हुई। कार्यवाही विवरण उपलब्ध करावें व बतावें कि 7-8 वर्षों की दीर्घ अवधि में इन छोटे कर्मचारियों का संविलियन अन्य संस्थाओं/विभागों में क्यों नहीं किया जा सका है? इस हेतु कौन उत्तरदायी है? **(ग)** उल्लेखित शेष कर्मचारियों के भरण पोषण हेतु विभाग ने क्या कार्यवाही की है। क्या वर्ष 2013 से इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही** है।] **(क)** जी हाँ। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऐसे सेवायुक्त, जिनके संविलियन आदेश मूल संविलियन योजना दिनांक 21/10/2015 के तहत जारी हुये किन्तु पदस्थापना आदेश संविलियत संस्था से जारी नहीं हुये है, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार** है। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के संविलियन हेतु अन्य कारणों से शेष रहे सेवायुक्तों की सूची जिलेवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 अनुसार** है। **(ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 अनुसार** है। तत्समय पात्र सर्वसंबंधित कर्मचारी का संविलियन आदेश किया जा चुका था। शेष अपात्र अथवा संबंधित बैंक/संस्था/व्यक्तिगत द्वारा याचिका/प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने से संविलियन नहीं हो सका। शेष प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** प्रदेश की सभी जिला विकास बैंक वर्ष 2016 से परिसमापन अंतर्गत है। स्पष्टत: कमजोर वित्तीय स्थिति की वजह से कर्मचारियों को वेतन भत्ते का भुगतान बैंकों ने

उनकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप वितरित ऋणों की वसूली के आधार पर किया है। पात्र कर्मचारियों के संविलियन आदेश जारी किये गये है।

संविदा कर्मचारियों का नियिमतीकरण

[स्कूल शिक्षा]

15. अता.प्र.सं.125 (क्र. 897) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार विभागीय सेटअप बदलने के लिए संविदा कर्मचारियों के पदों को नियमित पदों में बदलने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, निगम मण्डलों, विभागों, बोर्ड परिषद्, ओपन स्कूल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कौन-कौन से पद रिक्त हैं? संख्या सहित बतायें। **(ग)** राज्य शिक्षा केन्द्र के सर्वशिक्षा अभियान में संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में कब-कब कौन सी नस्ती चलाई गई? उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? **(घ)** राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए इतने समय बीतने के पश्चात भी अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05 जून 2018 के परिपालन में भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **(ग)** एवं **(घ)** दिनांक 18.09.2019 को। सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यवाही विवरण दिनांक 09 अक्टूबर 2019 के बिन्दु क्रमांक 1.15 संविदा नीति अनुसार विभाग द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन/परिवर्तन हेतु शीघ्र कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णयानुसार प्रशासकीय सेट-अप तथा भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

दिनांक 12 अगस्त, 2021

नगर निगम में लीज पट्टे की अवधि बढ़ाना

[नगरीय विकास एवं आवास]

16. अता.प्र.सं.70 (क्र. 958) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 5527 दिनांक 23.03.2021 क खण्ड (क) के सन्दर्भ में बताएं की सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त हुए या नहीं यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही की गई तथा खण्ड (ग) के सन्दर्भ में बतावें कि कालोनाईजर द्वारा किस-किस खसरा रकबा पर क्या अतिक्रमण किया था अतिक्रमण हटाने के लिये उसे दिये गये नोटिस कि प्रति देवें तथा अतिक्रमण किये जाने पर कानूनी रूप से प्रकरण दर्ज

क्यों नहीं किया गया? **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमाक 5566 दिनांक 23.03.2021 के सन्दर्भ में बतावें कि नगर निगम परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव की अनुमति राज्य शासन से प्राप्त की गई थी या नहीं? **(ग)** खण्ड (ख) में उल्लेखित भाग (ग) के सन्दर्भ में बताएं की नगर निगम रतलाम में भंग होने के बाद अभी तक लीज पट्टे की अवधि बढ़ाए जाने का आवेदन मिले उनके आवेदक के नाम, आवेदन की दिनांक, अनुमति दिये जाने या निरस्त किये जाने की दिनांक भवन/जमीन का क्रमांक कालोनी का नाम तथा अभी तक अनुमति नहीं दिये जाने का कारण सहित सूची देवें। **(घ)** खण्ड (ख) में उल्लेखित प्रश्न के सम्बन्ध में बताएं कि शेष नगर निगम में राशि वसूल नहीं कि गई तो रतलाम में क्यों की गई। 24.02.2016 से अंचल सम्पती अन्तरण नियम प्रभावशील होने के पूर्व किस-किस व्यक्ति से किस-किस मद में कितनी राशि वसूल की गई राशि जमा करने की दिनांक सहित सूची देवें। **(ड.)** क्या यह सही है कि नगर निगम परिषद् द्वारा कर या शास्त्री लगाने का प्रस्ताव राज्य शासन से अनुमोदित होना जरूरी है या यदि हाँ, तो बिना राज्य शासन कि अनुमोदना के खण्ड (घ) अनुसार वसूली गई राशि क्या वापस की जायेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** जी नहीं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना द्वारा शोध का कार्य जारी होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कॉलोनाईजर द्वारा शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1653 के आंशिक भाग पर गेट का निर्माण किया जा रहा था, जिसे पटवारी द्वारा स्थल सीमांकन के उपरान्त हटाने के लिए निर्देशित किया गया पृथक से कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया था, कॉलोनाईजर द्वारा स्वयं गेट को हटा लेने के कारण कानूनी प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया। **(ख)** प्रश्न क्रमांक 5566 दिनांक 23.03.2021 के उत्तर में उल्लेखित परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों की अनुमति आवश्यक नहीं होने से राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। **(ग)** नगर पालिक निगम का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात वर्तमान तक लीज पट्टे की अवधि बढ़ाए जाने हेतु कुल 377 आवेदन प्राप्त हुए है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** वर्ष 2016 के पूर्व नगर सुधार न्यास रतलाम के अस्तित्व के दौरान न्यास द्वारा जारी आवंटन, अनुबंध तथा लीज पट्टे की शर्तों के अधीन निर्धारित राशि एवं न्यास के ठहराव, नगर निगम परिषद् के ठहराव एवं मेयर इन काउंसिल के ठहराव अनुसार निर्धारित राशि समय-समय पर वसूल की गई है। म.प्र. अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रभावशील होने के पूर्व वर्ष 1994 तक की जानकारी काफी विस्तृत है जो रिकार्ड के आधार पर नगर निगम द्वारा तैयार कराई जा रही है। **(ड.)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(घ)** नगर पालिक निगम, रतलाम द्वारा दिनांक 24.12.2016 से अचल सम्पत्ति अंतरण नियम प्रभावशील होने के पूर्व दिनांक 01.08.1994 से 23.02.2016 तक समस्त मदों में वसूल की गई मदवार राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (बुकलेट क्रमांक 01 से 22 तक)

एन.जी.टी. (नेशनल ग्रीन ट्यूबनल) में लंबित प्रकरण
[पर्यावरण]

17. अता.प्र.सं.124 (क्र. 1094) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एन.जी.टी. में ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं जिनमें शासन वादी या प्रतिवादी है? साथ ही साथ ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वादी अथवा प्रतिवादी है? ये प्रकरण कब से लंबित है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रकरण कब से लंबित हैं? शासन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इनके निराकरण, जल्द निपटाने हेतु क्या प्रयास किये गये?

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [**(क)** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शासन स्तर की **जानकारी एकत्रित की जा रही** है**। (ख)** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है**।** शासन स्तर की **जानकारी एकत्रित की जा रही** है**।** लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु माननीय एनजीटी में समय-सीमा में जवाब/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है।] **(क)** एवं **(ख)** शासन स्तर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिसम्बर, 2021

दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में तकनीकी एवं कौशल विकास संबंधी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

1. परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 116) श्री सुनील उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जुन्नारदेव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधानसभा में युवाओं को रोजगार के लिये किन-किन बैंकों से अप्रैल 2021 से आज दिनांक तक प्रकरण भेजे गये और उनमें से कितने प्रकरण स्वीकृत होकर उनको राशि स्वीकृत हुई? **(ख)** क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने युवा रोजगार के लिये विगत वर्षों में युवाओं को ऋण देने के लिये योजनाएं तो बनाई किंतु वास्तव में धरातल पर युवाओं को बैंकों से कोई ऋण नहीं मिला और हजारों संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? **(ग)** क्या जुन्नारदेव विधानसभा में दो विकासखण्ड जुन्नारदेव एवं तामिया में तकनीकी शिक्षा हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक स्वीकृत करेंगे? अगर हाँ, तो कब तक? **(घ)** छिन्दवाड़ा जिले में कितने प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र स्वीकृत हुये एवं निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितना व्यय हुआ? क्या जिला छिन्दवाड़ा में चारों प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र बंद पड़े है? अगर हाँ, तो इसे कब तक स्वीकृत करेंगे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जुन्नारदेव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधानसभा अंतर्गत नगरीय परिषद् जुन्नारदेव द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोज़गार घटक अंतर्गत बैंक ऑफ महारष्ट्र-13, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया-15, मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक-4 भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-11, अप्रैल 2021 से आज दिनांक तक 43 प्रकरण बैंकों को प्रस्तुत किये गये है, जो बैंक द्वारा स्वीकृत हेतु लंबित है। जुन्नारदेव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधानसभा में युवाओं को रोज़गार देने के लिये अप्रैल, 2021 से आज तक प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत बैंकों में भेजे गये एवं बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** युवा रोज़गार के लिए वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत 56226 हितग्राहियों एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वरोज़गार योजनांतर्गत 56762 हितग्राहियों को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त दोनों योजनायें स्थगित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत भी बड़ी संख्या में युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाया गया एवं शासन द्वारा अनुदान सहायता दी गई। **(ग)** जुन्नारदेव विधानसभा में दो विकासखण्ड जुन्नारदेव एवं तामिया में तकनीकी शिक्षा हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत करने की कोई योजना नहीं है। **(घ)** छिन्दवाड़ा जिले में कुल 04 वन धन केन्द्र स्वीकृत है। पूर्व छिन्दवाड़ा

जिला यूनियन में 02 एवं पश्चिम छिन्दवाड़ा जिला यूनियन में 02 कुल 04 वन धन केन्द्र क्रियाशील है। स्वीकृत एवं व्यय राशि निम्नानुसार है :-

जिला यूनियन का नाम	वन धन केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपये में)	व्यय राशि (रूपये में)	अन्य
पूर्व छिन्दवाड़ा	02	3000000.00	1964000.00	वन धन केन्द्र स्थापना एवं मशीन/उपकरण स्थापित करने हेतु।
पश्चिम छिन्दवाड़ा	02	3100000.00	1000000.00	वन धन केन्द्र स्थापना एवं मशीन/उपकरण स्थापित करने हेतु।

जी नहीं। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक"

गतिविधि अनुसार मध्यान्ह भोजन पर किये गए खर्च की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. अता.प्र.सं.43 (क्र. 133) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक गतिविधि अनुसार मध्यान्ह भोजन पर किये गए खर्च तथा अन्य गतिविधि मिलाकर किए गए कुल खर्च का विवरण बताये? **(ख)** प्रश्नाधीन वर्ष में विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या था तथा उपलब्धि क्या रही? लक्षित एवं उपलब्धि प्राप्त शालाओं एवं रसोईयों की संख्या कितनी कितनी रही? **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में एम.एम.ई. (मानिटरिंग मेनेजमेंट) का कार्य किस किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा हैं तथा किस दर से कितना कितना भुगतान किया गया हैं? शासन एवं एजेन्सी के बीच अनुबंध की प्रति देवें। **(घ)** रसोईयों की संख्या किस अनुसार तय की गई हैं? शालाओं की संख्या 1 लाख 10 हजार तथा स्वसहायता समूह की संख्या लगभग 70 से 75 हजार के मध्य है, ऐसे में रसोईयों की संख्या 2.20 से 2.40 लाख के मध्य क्यों हैं? क्या एक-एक स्वसहायता समूह में चार-चार रसोईयें काम कर रहे हैं? **(ड.)** प्रश्नाधीन अवधि में वर्ष अनुसार बताएं कि कुल नामांकन के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया?

पंचायत मंत्री : [**(क)** वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग)** जिलों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। **(घ)** रसोईयों की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स के परिपत्र अनुसार** तय की गई है। रसोईयों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में तय की जाती है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार रसोईयें संलग्न किये जाते है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है।] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है।

कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रित करना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

3. अता.प्र.सं.95 (क्र. 377) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर में आई.आई.टी., एन.आई.टी. परीक्षाओं के छात्र-छात्राओं को तैयारी करवाने की कितनी कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** इन कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रित करने की शासन की कोई नीति है तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं और यदि नहीं, है तो क्या शासन कोचिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने हेतु कोई नीति बनाएगी? **(ग)** उक्त कोचिंग संस्थाओं की फीस को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है क्या कल्पवृक्ष कोचिंग गीता भवन इंदौर द्वारा छात्र-छात्राओं से एकमुश्त एडवांस फीस वसूली हेतु दबाव बनाया जा रहा है एवं कोरोना काल में कक्षाऐं न लगने के बावजूद वसूली गई, लाखों रुपए की फीस न तो वापस की जा रही है और न ही कम की जा रही है इस संबंध में शासन का क्या पक्ष है? **(घ)** कोरोना गाइड-लाइन के पालन के संबंध में इस संस्था को कितनी बार और किस प्रकार का अवलोकन करवाया गया है, प्रतिवेदन बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कोचिंग सेंटर स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करते हैं एवं इनका नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अत: कोचिंग सेंटर के संबंध में विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ख) से (घ)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अत: जानकारी निरंक है।

पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति

[स्कूल शिक्षा]

4. अता.प्र.सं.145 (क्र. 1328) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या डीएलएड व्यवसायिक पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है? यदि हाँ तो एक वर्ष में प्रति छात्र-छात्रा कितना शुल्क भुगतान करना होता है? **(ख)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? **(ग)** क्या फीस कमेटी द्वारा बीएड, बीई, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग आदि की फीस का निर्धारण किया जाता है? यदि हाँ तो विषयवार प्रति छात्र वर्ष में कितना भुगतान किया जाता है? विवरण देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार डीएलएड में अध्ययनरत ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र-छात्राओं को फीस कमेटी द्वारा कोई शुल्क निर्धारित की गई है? यदि हाँ तो कितनी प्रति छात्र-छात्रा अनुसार विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों कारण बताने का कष्ट करें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' पर** है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' पर** है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं

होता।] **(ग)** फीस कमेटी द्वारा बी एड, बी ई, बी एससी, नर्सिंग पाठयक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाता है। फीस कमेटी द्वारा जी एन एम पाठयक्रम में फीस का निर्धारण नहीं किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के नियम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. परि.अता.प्र.सं. 10 (क्र. 85) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इन्दौर शहर अन्तर्गत अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के नियम है? स्पष्ट करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट नियमानुसार किये जा रहे हैं अथवा नहीं? जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई थी? यदि हाँ, तो जांच में किन-किन अस्पतालों में अनियमितता पाई गई? **(ग)** क्या इन्दौर शहर में कुछ वर्ष पूर्व भी एम.वाय. हॉस्पिटल एन.आई.सी.यू. में आग लगी थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त घटना के बाद प्रशासन द्वारा शासकीय एवं निजी अस्पतालों पर फायर सेफ्टी संबंधी क्या-क्या प्रबंध किये गये? स्पष्ट करें। क्या कई अस्पतालों में प्रश्न दिनांक तक भी फायर सेफ्टी उपकरणों संसाधन की पूर्ति नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रशासन द्वारा अस्पतालों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।] **(क)** जी हाँ। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं के अन्तर्गत निजी अस्पतालों के पंजीयन चिकित्सालयों को फायरसेफ्टी की एन.ओ.सी. प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। परीक्षण में मयूर अस्पताल एवं एस.एन.जी. अस्पताल में कमी पाई गई। **(ग)** जी हाँ। महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में फायर फाइटिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। विभाग द्वारा फायर सेफ्टी नियमों का पालन कराने हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गये। ऑडिट कार्य कराया गया। जी नही। निजी चिकित्सालयों को नर्सिंग होम अधिनियम के अन्तर्गत फायर सेफ्टी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने के पश्चात ही पंजीयन जारी किया जाता है। नगर निगम द्वारा फायर ऑडिट कराया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 87) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोविड-19 से इन्दौर जिला अंतर्गत दूसरी लहर में कितनी मौतें हुई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत कोरोना दूसरी लहर में

कोरोना के अलावा अन्य कारणों से कितनी मृत्यु हुई? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शासन द्वारा कोरोना अथवा अन्य कारणों से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं अथवा घोषणाएं की गई है? स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कोरोना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु से मृतकों के आश्रितों को इन्दौर जिले में किन-किन आश्रितों को मुआवजा दिया गया? कितनी-कितनी मुआवजा राशि किन-किन को कब-कब दी गई? क्या शासन द्वारा मृतकों के आश्रितों को रोजगार आदि दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कोविड-19 से इन्दौर जिला अंतर्गत दूसरी लहर (दिनांक 01.03.2021 से 30.06.2021 तक सार्थक पोर्टल अनुसार) के दौरान कुल 458 मौतें हुई। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिले में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के अलावा अन्य कारणों जैसे सड़क दुर्घटना, हृदयघात, केंसर, एडस्, क्षय रोग, बर्न, डेंगू, प्रसव पश्चात होने वाली बीमारियों तथा अन्य कारणों से मृत्यु हुई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी संकलित नहीं की जाती है। **(ग)** जी हाँ। प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** कोरोना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु से मृतकों के आश्रितों को इन्दौर जिले में 1016 आश्रितों को मुआवजा दिया गया। 1016 आश्रितों को रूपये 50,000-00 (रूपये पचास हजार) प्रति मृतक के मान से प्रश्न दिनांक तक राशि कुल रूपये 5,08,00,000-00 (रूपये पांच करोड़ आठ लाख) स्वीकृत की जाकर प्रदान की गई है। जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3, दिनांक 28 मई 2021 द्वारा कोरोना काल में कोरोना से मृत समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षतिग्रस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]

7. परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 169) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को प्रेषित किये गये है? उन मंदिरों के नाम, स्थान तथा प्रेषित प्रस्ताव की दिनांक बतावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित मंदिरों में से कितने प्रस्ताव आयुक्त महोदय को प्रेषित किये जा चुके है? उक्त मंदिरों के नाम, स्थान तथा प्रेषित पत्र का संदर्भ एवं पत्र की छायाप्रति बतावें? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) में आयुक्त महोदय को प्रेषित प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव सचिव महोदय, अध्यात्म विभाग को प्रेषित किये गये है? उन

मंदिरों के नाम स्थान तथा प्रेषित पत्र का संदर्भ एवं संदर्भित पत्र की छायाप्रति देवें? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) में शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव में से कितने मंदिरों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है? मंदिरवार, स्थानवार एवं स्वीकृत राशि की जानकारी देवें। यदि प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है तो कारणों को बतावें?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में दर्शित मंदिरों में से 14 मंदिरों के प्रस्ताव आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को प्रेषित किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** शासन स्तर पर कुल 12 मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल से प्राप्त हुए है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ)** एक मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार**। शेष मंदिरों की स्वीकृति पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने से जारी नहीं की गई है।

मान.मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

8. परि.अता.प्र.सं. 21 (क्र. 276) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में मान. मंत्री मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई किन-किन घोषणाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ है? घोषणावार कारण बतायें। **(ख)** क्या यह सत्य है कि मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा रायसेन जिले की ग्राम पंचायत देवरी को नगर पंचायत बनाई जाने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो देवरी को कब तक नगर पंचायत बनाया जायेगा तथा इस हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** मान.मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग के कौन-कौन अधिकारी की क्या-क्या जवाबदारी है तथा उनके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** रायसेन जिले में मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन कब तक होगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई समस्त घोषणाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। घोषणावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। कलेक्टर रायसेन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 3219-384-1530-2021, 18-3 भोपाल दिनांक 02.12.2021 से प्राप्त निर्देशानुसार नगर परिषद देवरी के गठन की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन पत्र क्रमांक 1140/डूडा/2021 दिनांक 02/12/2021 को कराया गया एवं सुझाव आपत्ति सहित प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 1172 दिनांक 07.12.2021 से भेजा गया है। **(ग)** घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत कार्य प्रक्रिया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत कार्य प्रक्रिया है। जिनकी निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]

9. अता.प्र.सं.35 (क्र. 402) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जी.ए.डी. के परिपत्र दिनांक 07 मार्च 2011 तथा अतारांकित प्रश्न (क्र.1497) दिनांक 03/03/2021 के उत्तर के संदर्भ में हलवा, कोष्टा, कोष्टा एसटी वर्ग आरक्षण नियमों के तहत जिन कर्मचारियों को दिनांक 28/11/2000 के पश्चात पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है और जो परिपत्र जारी होने के दिनांक 07 मार्च 2011 के पूर्व तथा इसके पश्चात भी पदोन्नत पद पर पदस्थ है तो क्या इन कर्मचारियों की भी पदोन्नति प्रभावित होगी और इनकी पदोन्नति को अवैध माना जाकर उसे निरस्त किया जावेगा? यदि हाँ, तो शासन ने इस संबंध में कब क्या दिशा निर्देश जारी किये है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या यह सत्य है कि अतारांकित प्रश्न 10 (क्र.107) दिनांक 10/8/2021 के उत्तर में हलवा समुदाय के शोभित कोष्टा को क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश दिनांक 23 जनवरी 2007 द्वारा श्री शोभित कोष्टा पिता खूबचन्द कोष्टा औषधि निरीक्षक की एससी वर्ग में आरक्षण नियमों के तहत वरिष्ठ औषधि निरीक्षक पद पर की गई पदोन्नति अवैध है? यदि हाँ तो इस अवैध पदोन्नति को प्रभावहीन मानकर इसे निरस्त करने हेतु कब क्या कार्यवाही की हैं एवं? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा. मुख्यमंत्री म.प्र. शासन ने प्रश्नांकित अवैध पदोन्नति को निरस्त करने हेतु कब क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** परिपत्र दिनांक 07 मार्च 2011 द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा श्री शोभित कोष्टा पिता खूबचन्द कोष्टा, औषधि निरीक्षक को एस.सी. वर्ग में आरक्षण नियमों के तहत वरिष्ठ औषधि निरीक्षक पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड 19 से मृतक हुए व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 444) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कोविड 19 के कारण असामयिक मृत्यु को प्राप्त मरीज़ के परिजनों को मुआवजा देने सम्बंधित घोषणा राज्य शासन ने की है? यदि हाँ, तो घोषणा तथा इस से सम्बंधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? **(ख)** प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो? प्रश्न दिनांक तक ब्यावरा विधानसभा में कितने मरीज़ों की कोविड 19 के कारण मृत्यु हुई तथा कितनों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराया गया? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार समस्त मृतकों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया? शासन शेष को कब तक मुआवजा उपलब्ध कराएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ। घोषणा से संबंधित परिपत्र की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** प्रश्न दिनांक तक ब्यावरा विधानसभा में कोविड -19 के कारण कुल 60 रोगियों की मृत्यु हुई है जिनमें से कुल 05 मृतकों के परिजनों को जिला कलेक्टर द्वारा पात्रतानुसार मुआवजा राशि का भुगतान दिनांक 25.11.2021 को किया गया है तथा कुल 24 परिजनों को जिला कलेक्टर द्वारा पात्रतानुसार मुआवजा राशि भुगतान किये जाने के संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किये जा चुके हैं। भुगतान एवं स्वीकृति आदेश संबंधित आदेश की प्रतियां **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी हां, कुल 60 मृतकों में से शेष 31 मृतकों के परिजनों को पात्रतानुसार मुआवजा राशि वितरण की कार्यवाही जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा की जा रही है। मुआवजा राशि प्रदान करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होने के कारण निश्चित समय-सीमा अवधि बताई जाना संभव नहीं है।

कोरोना काल के दौरान हुई गतिविधियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. अता.प्र.सं.55 (क्र. 577) श्री सुनील उईके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोरोना काल अवधि में कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा अलग अलग अस्पतालों को स्वीकृत की गई? उसमें से मदवार कितनी कितनी राशि खर्च की गई? **(ख)** अभी वर्तमान में छिन्दवाड़ा जिले में विकासखण्डवार कितने-कितने पहले एवं दूसरे कोरोना के टीकाकरण के डोज लग चुके हैं? उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी पहला या दूसरा डोज के कोरोना के टीकाकरण के सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं? **(ग)** जिला छिन्दवाड़ा में कोराना से हुई मृत्यु की संख्यात्मक जानकारी एवं उन्हें कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई एवं कोरोना से मृत्यु के बाद आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि के कितने प्रकरण लंबित हैं? **(घ)** कोरोना से पीड़ित परिवार के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत ब्लाकवार क्या क्या सुविधाएं दी गई? **(ड.)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 7/टीकाकरण/2021/177 दिनांक 28-01-2021 के अनुसार टीकाकरण अभियान हेतु वित्तीय आदेश जारी किया था उक्त पत्र के अनुसार जुन्नारदेव विधानसभा में कितना बजट दिया गया व कितना भुगतान किया गया? यदि नहीं, किया गया तो क्यों और भुगतान नहीं किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** दिनाँक 05 दिसंबर 2021 तक छिंदवाड़ा जिले में कुल 27,83,213 कोविड-19 डोज लगाये जा चुके हैं, विकासखंडवार टीकों की संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। एक ही मोबाईल नम्बर से परिवार के कई सदस्यों की इंट्री कोविन पोर्टल में दर्ज होने से कुल 03 व्यक्तियों को मृत्यु के

बाद दूसरे डोज का सर्टिफिकेट त्रुटिवश जारी हुआ। **(ग)** जिला छिन्दवाड़ा में कोरोना से हुई मृत्यु की संख्या 120 है एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक/राज.आ./सात/शा-8/2021/943 भोपाल दिनाँक 18.11.2021 में दिये गये निर्देश के पालन में आज दिनाँक तक कुल 120 मृतकों के वैद्य वारिसानों को 50 हजार रूपये प्रत्येक मृतक के मान से कुल 60 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है एवं जिला अंतर्गत कोविड कार्य के दौरान कार्य करते समय कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत न्यू इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी के माध्यम से पात्रता अनुसार कुल 9 प्रकरणों में राशि रूपये 50-50 लाख का भुगतान किया गया है। वर्तमान में राहत राशि हेतु 113 आवेदन पत्र लंबित हैं जिनकी जाँच कराई जा रही है। जाँचोपरांत पात्रता पाये जाने पर नियमानुसार राशि स्वीकृत की जायेगी। **(घ)** कोरोना से मृत हुये परिवार के आश्रितों को शासन निर्देशानुसार 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। ऐसे शासकीय सेवक जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है उनके परिवार के 01 सदस्य को पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। शासकीय सेवकों की मृत्यु कोविड-19 से होने पर मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत 31 शासकीय सेवकों को अनुग्रह राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिले में कुल 61 अनाथ बच्चों को लाभांवित किया गया है। **(ड.)** जी हाँ। जुन्नारदेव विकासखंड को कुल राशि रूपये 1,74,600/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवंटित की गई। आवंटित राशि रूपये 1,74,600/- का उपयोग कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु व्यय किया गया।

प्रोटोकॉल नियमों की अवहेलना

[सामान्य प्रशासन]

12. परि.अता.प्र.सं. 61 (क्र. 631) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किये जाने के कारण सहित जानकारी दें। प्रश्नकर्ता स्थानीय विधायक को बगैर सूचना दिए कितनी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन/लोकार्पण एवं कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण कार्यक्रम किया गया? योजनावार,कार्यवार जानकारी दें। माह नवम्बर 2021 में वेत्रवती नदी तट गणेश मंदिर पर घाट निर्माण सौंदर्यीकरण कार्य एवं जनपद पंचायत विदिशा के पंचायत जम्बार के ग्राम निमखिरिया में गौशाला भवन निर्माण कार्य सहित अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ स्थानीय विधायक को बगैर सूचना दिए, किए जाने के कारण सहित जानकारी दें। **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.04.2019 के पश्चात प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव, कलेक्टर विदिशा एवं संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो शासन के कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक

को आमंत्रित न कर अपात्र व्यक्तियों से लोकार्पण/भूमिपूजन एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण सहित जानकारी दें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कृषि विभाग द्वारा विकासखण्ड विदिशा में रबी 2021-22 योजनाओं के अंतर्गत बीज वितरण तथा मिनीकिट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी सूचना संबंधित वरिष्ठ कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक 26/10/2021 को माननीय विधायक जी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर माननीय विधायक जी को देने हेतु गये लेकिन माननीय विधायक जी के कार्यालय में बताया गया कि विधायक जी घर पर नहीं है। दिनांक 27/10/2021 को दूरभाष पर माननीय विधायक जी से सम्पर्क किया कि बीज वितरण कार्यक्रम में आप दिनांक 27/10/2021 एवं 28/10/2021 को पधारे तो माननीय विधायक जी ने कहा की आज मेरे पास वक्त नहीं है। तब उनसे कहा गया की बीज वितरण कार्यक्रम लगभग दो माह चलेगा, आप कभी भी दिनांक दे देवे जिसके अनुसार आपकी उपस्थिति में आपके द्वारा कृषको को बीज वितरण कार्यक्रम कराया जा सके, माननीय विधायक जी द्वारा दिनांक नहीं दी गई। उप संचालक कृषि द्वारा भी माननीय विधायक जी को दूरभाष पर अवगत कराया कि दिनांक 27/10/2021 एवं 28/10/2021 को बीज वितरण कार्यक्रम रखा गया है आप पधारे माननीय विधायक जी नहीं पधारे। विकासखण्ड विदिशा कार्यालय में मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों के समक्ष बीज वितरण कार्यक्रम कराया गया। माह नवम्बर 2021 में वैत्रवती तट गणेश मंदिर घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विदिशा विधानसभा अंतर्गत कोई भूमिपूजन, लोकार्पण कार्यक्रम नहीं किया गया है। जनपद पंचायत विदिशा की पंचायत जंबार के ग्राम निमखिरिया में गौशाला भवन के निर्माण कार्य का लोकार्पण के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विदिशा द्वारा जानकारी दी गई कि विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत विदिशा अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि स्थानीय विधायक महोदय को शासन की योजनाओं के उदघाटन, शुभारंभ कार्यक्रमों में आमंत्रित करें। इसके पालन में समय समय पर माननीय विधायक महोदय को आमंत्रित भी किया गया है परन्तु सचिव ग्राम पंचायत जंबार द्वारा माननीय विधायक महोदय के बिना गौशाला का उद्घाटन किया गया जिसके संबंध में सचिव को दिनांक 08/12/2021 द्वारा नोटिस दिया गया है। विदिशा विधानसभा जनपद क्षेत्र विदिशा अंतर्गत माह नवम्बर 2021 में ग्राम पंचायतों में भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण (ग्राम पंचायत जंबार छोड़कर) नहीं किये गये। अत: ग्राम पंचायत जंबार के निमखिरिया के गौशाला भवन के शुभारंभ में पंचायत प्रधान प्रशासकीय समिति एवं सचिव द्वारा भूलवश सूचना नहीं हो सकी, त्रुटि मानते हुए भविष्य में गलती नहीं होगी, कारण सहित उत्तर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विदिशा को प्रस्तुत किया है। **(ख)** जी हाँ। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 29/10/2021 प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को संबोधित होकर प्राप्त हुआ था। जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक

29/11/2021 से कलेक्टर विदिशा से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन चाहा गया है। मुख्य सचिव कार्यालय में प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के कुल चार पत्र क्रमांक 5184 दिनांक 04/01/2021, क्रमांक 5237 दिनांक 16/01/2021, क्रमांक 5315 दिनांक 02/02/2021 एवं क्रमांक 5193 दिनांक 07/01/2021 प्राप्त हुए हैं जो मुख्य सचिव कार्यालय के क्रमश: पत्र क्रमांक 182 दिनांक 07/01/2021, पत्र क्रमांक 451 दिनांक 18/01/2021, पत्र क्रमांक 137 दिनांक 06/02/2021 एवं पत्र क्रमांक 274 दिनांक 11/01/2021 से क्रमश: प्रमुख सचिव, उर्जा, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त पत्र पर कलेक्टर जिला विदिशा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभागीय पत्र क्रमांक 1420/398/2021/1/4 दिनांक 22/06/2021 से प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया गया है। कार्यालय कलेक्टर विदिशा में प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का पत्र क्रमांक 553/2021-22 दिनांक 29 अक्टूबर 2021 प्राप्त हुआ है जिसमें किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग विदिशा द्वारा शासकीय बीज वितरण में आमंत्रित न कर कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की है। इस संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में दी गई है।

कोविड मृतकों को सहायता राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ता.प्र.सं. 12 (क्र. 870) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कोविड मृतकों को 1 लाख रू. दी जाने वाली सहायता राशि क्या 50 हजार रू. कर दी गई है? कारण सहित बतावें। **(ख)** इसके लिए बनाए गये नियमों की जानकारी बतावें। क्या कारण है कि प्रदेश में प्रश्न दिनांक तक किसी को भी राशि प्रदाय नहीं की गई है? यदि कहीं प्रदाय की हो तो बतावें। **(ग)** यह राशि वितरण कब तक प्रारंभ किया जाएगा? मान. मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रू. की सहायता राशि की घोषणा की थी, इसे मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा सका? **(घ)** इसे कब तक घोषणा अनुसार रूपये 1 लाख कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) प्रभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 33-04/2020-एनडीएम-1, दिनांक 25.09.2021 के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने हेतु गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 32/7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/रा.आ./सात/शा-8/2021/943, दिनांक 18.11.2021 द्वारा कोविड-19 से मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि रूपये 50000-00 (रूपये पचास हजार) दिये

जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को दिशा-निर्देश जारी किये गये है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/रा.आ./सात/शा-8/2021/943, दिनांक 18.11.2021 अनुसार पात्रतानुसार मृतक परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** राशि वितरण प्रारंभ किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पृथक वितरित

विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

14. अता.प्र.सं.126 (क्र. 937) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में विभिन्न विभागों में द्वितीय-तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? पृथक-पृथक विवरण बतावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना है? विवरण बतावें?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप कार्यवाही की जाती है।] **(क)** प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में द्वितीय श्रेणी के 632, तृतीय श्रेणी के 4596 एवं चतुर्थ श्रेणी के 496 पद रिक्त हैं।

मुआवजा राशि प्रदान करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. अता.प्र.सं.130 (क्र. 953) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोविड-19 महामारी के प्रथम एवं द्वितीय लहर में हुई शासकीय सेवकों, जनसामान्य की मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि/मुआवजा की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि दिये जाने के लिये की गई थी? **(ख)** यदि हाँ तो शासन ने उक्त घोषणा के अनुरूप आदेश कब जारी कर दिये है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार की जा रही घोषणाओं पर क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कोरोना के कारण मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री की घोषणा जो कि उन्होंने समय-समय पर की है, जिन्हें इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया तथा सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित किया था एवं घोषणा की पूर्ति नहीं किये जाने के संबंध में सरकार ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया है? **(घ)** क्या मुख्यमंत्री जी की गरिमा को बनाये रखने के लिये कोरोना से मृतकों के परिवार को मुआवजा घोषणा के अनुरूप दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम

भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) प्रभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 33-04/2020-एनडीएम-1, दिनांक 25.09.2021 के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने हेतु गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 32/7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/रा.आ/सात/शा-8/2021/943, दिनांक 18.11.2021 द्वारा कोविड -19 से मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि रूपये 50,000=00 (रूपये पचास हजार) दिये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश को दिशा-निर्देश जारी किये गये है। **(ख)** जी हाँ। शासन ने उक्त घोषणा के अनुरूप आदेश दिनांक 18.11.2021 को जारी कर दिये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/रा.आ./सात/शा - 8/2021/943, दिनांक 18.11.2021 अनुसार पात्रतानुसार मृतक परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अधिकारियों के विरूद्ध लंबित जांच
[सामान्य प्रशासन]

16. ता.प्र.सं. 8 (क्र. 974) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017 से 30 नवम्बर 2021 तक की अवधि में आई.ए.एस, आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अवार्ड के लिये आयोजित बैठक में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत किस-किस स्तर पर लंबित होना पाई गई? अधिकारियों के नाम एवं पद सहित बताएं। **(ख)** वर्तमान में कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अधिकारियों के विरूद्ध कितनी-कितनी शिकायतों की जांच कब-कब से किस-किस जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन की कार्यवाही भा.प्र.से. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली,1955 एवं भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 तथा भा.प्र.से. (भर्ती) नियमावली, 1954 के अंतर्गत की जाती है। जिन अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति/निलंबन/आरोप पत्र अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित रहती है, उन अधिकारियों के संबंध में संनिष्ठा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं। शिकायतों के आधार पर संनिष्ठा रोकना प्रावधानित नहीं है। प्रश्नाधीन अवधि में जिन अधिकारियों की संनिष्ठा रोकी गई, उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन की कार्यवाही भा.प्र.से. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली,1955 एवं भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के अंतर्गत की जाती है। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति की कार्यवाही

भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली,1955 तथा राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति की कार्यवाही भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली,1966 के अंतर्गत की जाती है। जिन अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति/निलंबन/आरोप पत्र अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित रहती है, उन अधिकारियों के संबंध में संनिष्ठा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं। शिकायतों के आधार पर संनिष्ठा रोकना प्रावधानित नहीं है। प्रश्नाधीन अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन हेतु जिन अधिकारियों की संनिष्ठा रोकी गई, उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार,** भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु जिन अधिकारियों की संनिष्ठा रोकी गई, उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार,** भारतीय वन सेवा में पदोन्नति हेतु जिन अधिकारियों की संनिष्ठा रोकी गई, उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है।

पृथक वितरित

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

कटनी के ओपन कैंपों में भंडारित अनाज
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

17. अता.प्र.सं.3 (क्र. 105) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषि उपज के उपार्जन और भंडारण के शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं? यदि हाँ, तो क्या? वर्तमान में लागू नीति एवं नियम/निर्देश बतावे और विगत 03 वर्षों में उपार्जन एवं भंडारण में शासन/विभाग को ज्ञात अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। **(ख)** ओपन कैंपों में भंडारित अनाज की सुरक्षा/उपचार एवं भंडारण की समयावधि के वर्तमान में क्या नियम/निर्देश हैं और भंडारित अनाज की सुरक्षा/उपचार/देख-रेख और अनाज के भंडारण एवं उठाव का दायित्व/कार्य किस-किस कार्यालय/विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों का नियत हैं? **(ग)** कटनी जिले में कितनी-कितनी क्षमता के कितने ओपनकैंप कहाँ-कहाँ कब से स्थापित हैं, विगत 05 वर्षों में कैंपवार मरम्मत/संधारण के क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि से कराये गये, भंडारित अनाज की सुरक्षा/उपचार के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई? कितनी-कितनी राशि किस हेतु व्यय की गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) विगत 03 वर्षों में कैपवार किस-किस कृषि-उपज/अनाज का कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब भंडारण किया गया? अनाज को कब से कब तक भंडारित रखना था? कब तक रखा गया? नियत अवधि के पश्चात भी अनाज के भंडारित रहने का कारण बताइये। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) क्या भंडारित अनाज खराब/क्षतिग्रस्त हुआ, हाँ, तो कितनी मात्रा में कितनी लागत का कौन-कौन सा अनाज और किन-किन कारणों से? भंडारित अनाजों को सुरक्षित करने के क्या-क्या प्रयास किए गये? कैपवार बताइये। **(च)** प्रश्नांश (क) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में क्या अनाज के खराब/क्षतिग्रस्त होने की प्रश्नकर्ता की सहभागिता में जांच/कार्यवाही के निर्देश दिये जायेंगे? हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन एवं भण्डारण के संबंध में जारी नीति की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार** है। विगत 03 वर्षों में उपार्जन एवं भण्डारण में पाई गई अनियमितताओं एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है। **(ख)** ओपन कैप में भण्डारित खाद्यान्न के सुरक्षा, उपचार एवं भण्डारण की समयावधि के संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार** है। भण्डारित अनाज की सुरक्षा/उपचार/देखरेख और अनाज के भण्डारण का कार्य मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के गुणवत्ता नियंत्रक/ कर्मचारियों द्वारा शाखा प्रबंधक की देख-रेख में किया जाता है तथा अनाज के उठाव का कार्य जमाकर्ता एजेन्सी यथा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ/नेफेड द्वारा किया जाता है। **(ग)** कटनी जिले में स्थापित ओपन केप की क्षमतावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है। विगत 05 वर्षों में कटनी जिले की ओपन केप में भण्डारित अनाज के कीटोपचार हेतु समय-समय पर दवा का छिड़काव/धूमीकरण का कार्य किया गया है। कैप मरम्मत, भण्डारित अनाज की सुरक्षा एवं कीटोपचार पर विगत 05 वर्षों में हुए व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ई' अनुसार** है। **(घ)** कटनी जिले की केपों में विगत 03 वर्ष में भण्डारित अनाज की अवधि सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'फ' अनुसार** है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होने एवं निष्पादन में समय लगने के कारण कैपों में भी अधिक समय तक खाद्यान्न का भण्डारण करना पड़ा है अपितु कैपों में खाद्यान्न भण्डारण की अवधि नियत नहीं है। **(ड.)** मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन कैपों में भण्डारित अनाज क्षतिग्रस्त/खराब नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ की मझगवां फाटक ओपन कैप में वर्ष 2019-20 का 279348.90 क्विंटल धान खराब हुआ जिसकी राशि रू. 50,70,18,253/- संभावित है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न के उपार्जन मात्रा में निरन्तर वृद्धि होने तथा निष्पादन में समय लगने के कारण कैप में अधिक समय तक स्कन्ध का भण्डारण कराया गया है जिससे धान क्षतिग्रस्त/खराब हुआ है। भण्डारित खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए धूम्रीकरण तथा कीटोपचार एवं कैप एवं नेट कवर लगाने की कार्यवाही की गई है। **(च)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के भण्डारण की समुचित व्यवस्था मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जा रही है। प्रदेश में उपार्जन में निरन्तर वृद्धि होने एवं निष्पादन में समय लगने के कारण गोदामों में कैप में लम्बे समय तक स्कन्ध का भण्डारण करना पड़ रहा है, जिसके कारण अल्प मात्रा में कहीं-कहीं स्कन्ध के क्षतिग्रस्त/खराब हुआ है जिसके लिए किसी पृथक से जांच कराई जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खाद्यान्न आवंटन के निर्देश
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

18. अता.प्र.सं.21 (क्र. 346) श्री रामपाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल आवंटन के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है तथा इस हेतु राज्य स्तर पर क्या-क्या व्यवस्था की गई है? **(ख)** रायसेन जिले में 1 जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 की तक की अवधि में किन-किन दुकानों पर कितना-कितना खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल का आवंटन कम किया गया तथा क्यों? इसके लिए कौन दोषी है? **(ग)** 1 जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में परिवहनकर्ता द्वारा किस-किस उचित मूल्य की दुकान पर किन-किन दिनांकों में खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल पहुँचाया गया? **(घ)** क्या रायसेन जिले में आवंटन कम तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल उचित मूल्य की दुकान पर निर्धारित समय पर न भेजने के कारण प्रत्येक माह की 7 तारीख को खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाया? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न एवं केरोसीन तेल का आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों अंतर्गत किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न आवंटन पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 05 किलोग्राम एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है। भारत सरकार से प्रति त्रैमास केरोसीन तेल के प्राप्त आवंटन का पुनरावंटन जिलेवार एवं आईल कंपनी के डीलरवार प्रति माह किया जाता है। वर्तमान में अन्त्योदय परिवारों को 03 लीटर एवं प्राथमिकता परिवारों को 01 लीटर केरोसीन का प्रतिमाह आवंटन प्रदाय किया जा रहा है। जारी किये जाने वाला खाद्यान्न एवं केरोसीन का आवंटन AePDS पोर्टल पर आमजनों के अवलोकन हेतु प्रदर्शित है। जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रतिमाह पात्र परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान्न एवं केरोसीन का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उचित मूल्य दुकानों पर वितरण से शेष बची मात्रा का समायोजन कर आगामी माह का आवंटन जारी किया जाता है। जिलों की मांग के आधार पर आवश्यक होने पर अतिरिक्त आवंटन भी जारी किया जाता है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकान पर पहुंचाए गये खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** एवं केरोसीन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नीलगाय से फसल नुकसान का मुआवजा का प्रदाय
[वन]

19. परि.अता.प्र.सं. 20 (क्र. 378) श्री मनोज चावला : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्रमांक 3569 दिनांक 08/03/2021 के प्रेषित उत्तर के बिंदु (ड.) में कहा गया है,

कि फसल नुकसान करने वाली नीलगाय को मारने का प्रावधान है मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नीलगाय को मारने की अनुमति सक्षम व जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कृषक के आवेदन पर दी गई है? **(ख)** प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितनी नीलगायों को नियमानुसार अनुमति लेकर मारा गया है? जिलेवार सूची देवें। **(ग)** प्रदेश के कितने जिलों में नीलगाय से खेतो में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित हितग्राही को शासन से मुआवजा दिया गया है। जिलेवार कृषकों को दिये गये मुआवजे वितरण की जानकारी देवें।

वन मंत्री : [**(क)** मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में नीलगाय मारने की अनुमति अधिकृत स्तर से जारी नहीं की गई है। **(ख)** नीलगाय मारने की अनुमति जारी नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में है।**

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u>

राशन दुकानों की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

20. परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 544) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पूर्व बड़वानी जिले की सेंधवा विधान सभा में कितने-कितने परिवार राशन दुकानों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर रहे थे? जून 2021 में कितने परिवार किस श्रेणी के लाभान्वित हो रहे हैं? स्थानीय निकायवार बतायें। **(ख)** खाद्य सुरक्षा लागू होने के उपरांत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निकायों में कितने नए पात्र परिवार किस श्रेणी में शामिल किए गए? कितने अपात्र परिवार हटाए गये? क्या अपात्र श्रेणी में हो जाने के बाद भी अनेक दुकानों में अनेक परिवारों की सामग्री लम्बे समय तक आती रही? **(ग)** पात्रता श्रेणी में शामिल होने के कितने दिवस बाद परिवार का राशन संबंधित दुकान को आवंटित किया जाने का प्रावधान है? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) की स्पष्ट नीति नहीं होने से परिवार दुकानों में भटकता है, पर उसका राशन नहीं आता और जब राशन आता है तो परिवार को पता नहीं चलता और कई माह तक अपयोजन होता है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पूर्व बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा में राशन दुकानों से आवश्यक वस्तुए प्राप्त करने वाले परिवारों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	निकाय का नाम	अन्त्योदय	बीपीएल	एपीएल	योग
1	जनपद पंचायत सेंधवा	9326	31830	16028	57184
2	नगरपालिका सेंधवा	2496	10869	8426	21791
	योग	**11822**	**42699**	**24454**	**78975**

जून 2021 में श्रेणीवार लाभान्वित हो रहे परिवारों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	निकाय का नाम	अन्त्योदय श्रेणी	प्राथमिक श्रेणी	योग
1	जनपद पंचायत सेंधवा	8060	46697	54757
2	नगरपालिका सेंधवा	2167	8784	10951
	योग	**10227**	**55481**	**65708**

(ख) खाद्य सुरक्षा लागू होने के उपरांत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निकायों में 5,225 नये पात्र परिवार शामिल किये गये, जिसकी श्रेणीवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। राशन मित्र ऐप के माध्यम से सर्वे एवं आधार सीडिंग के दौरान पलायन अथवा अन्य कारणों से हटायें गये परिवार की कुल संख्या 13,681 है। परिवार अपात्र श्रेणी में हो जाने के बाद किसी भी दुकान में किसी भी परिवार की सामग्री लम्बे समय तक नहीं आती रहती है अर्थात परिवार को पोर्टल से हटाने पर ऑनलाईन आगामी माह से आवंटन आना बन्द हो जाता है। **(ग)** पात्रता श्रेणी में शामिल होने के आगामी माह से परिवार का राशन संबंधित दुकानों को आवंटित किये जाने का प्रावधान है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) की स्पष्ट नीति है कि परिवार की पात्रता पर्ची जारी होने के आगामी माह से आवंटन प्राप्त होकर परिवार को संबंधित राशन दुकान से सामग्री प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। परिवार की पात्रता पर्ची जारी होते ही ग्राम पंचायत के माध्यम से पर्ची उपल्ब्ध करवाते हुये राशन प्राप्त करने हेतु अवगत करा दिया जाता है। शासन द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर संचालित पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन वितरण किया जाता है जिसके कारण किसी भी परिवार के राशन का अपयोजन होना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चार"

सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना
[जल संसाधन]

21. अता.प्र.सं.62 (क्र. 682) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि शिवपुरी जिला अंतर्गत पोहरी में निर्माणाधीन सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना की निर्माण एजेन्सी के ठेकेदार को अब तक कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया जा चुका है? परियोजना निर्माण में ठेकेदार को अब तक किए गए भुगतान की माप पुस्तिका, बिल, व्हाउचर्स, पेमेंट शेड्यूल सहित सर्वेक्षण कार्य के प्राक्कलन की स्वच्छ छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।] निर्माणाधीन सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना की निर्माण एजेंसी को प्रश्न दिनांक तक केवल एक चलित देयक से कुल राशि रू.3,27,36,055/- का भुगतान दिनांक 06.02.2021 को किया जाना प्रतिवेदित है। ठेकेदार को अब तक किए गए भुगतान की माप पुस्तिका, बिल व्हाउचर्स, पेमेंट शेड्यूल तथा सर्वेक्षण प्राक्कलन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 1, 2, 3 , 4 अनुसार** है।

राजस्व विभाग के संबंध में

[राजस्व]

22. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 736) श्री बाबू जन्डेल : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत अगस्त माह में आई सदी की भीषण तबाही प्राकृतिक आपदा बाढ़/अतिवृष्टि से हजारों परिवार बेघर हो गये थे एवं करोड़ों रूपये का आर्थिक नुकसान असमय ही गरीब मजदूर, किसान, व्यापारियों को झेलना पड़ा था? यदि हाँ तो उक्त प्राकृतिक आपदा से पीड़ित प्रभावित परिवारों को हुये विभिन्न प्रकार के नुकसान की पृथक-पृथक ग्रामवार, न.पा. क्षेत्र की वार्डवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार पीड़ित/प्रभावित परिवारों को कितना-कितना मुआवजा/राहत राशि किस-किस नुकसान/क्षति के बदले में जिला प्रशासन द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदाय की गई है? यदि हाँ तो न.पा. क्षेत्र के वार्डवार, ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामवार प्रत्येक प्रभावित परिवारों को प्रदाय राहत राशि की प्रमाणित सूची उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या मुआवजा से वंचित व्यक्तियों द्वारा जनसुनवाई में एवं प्रश्नकर्ता के माध्यम से जिला प्रशासन को कितने आवेदन प्रस्तुत किये गये? उक्त आवेदन पत्रों का क्या निराकरण हुआ? क्या प्रश्नकर्ता को एवं संबंधित आवेदक को अवगत कराया गया है? यदि नहीं, तो कारण बतावें। यदि हाँ, तो निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। क्या अभी भी पात्र प्रभावित परिवार राहत राशि से वंचित/शेष हैं? यदि हाँ, तो शेष पात्र प्रभावित परिवारों की सूची उपलब्ध करावें। **(घ)** जिला प्रशासक द्वारा प्राकृतिक आपदा से किन-किन पशुपालकों/कृषकों के कौन-कौन से पशुओं की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी-कितनी राशि किस-किस को मुआवजा/राहत राशि के रूप में प्रदाय की गयी? ग्रामवार, न.पा. वार्डवार पते एवं प्रदाय राहत राशि की सूची उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। जानकारी संकलित की जा रही है **(ख)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है।

उचित मूल्य दुकान के भवनों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

23. अता.प्र.सं.78 (क्र. 749) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में कुल कितने उचित मूल्य दुकान संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित दुकानों में कितनी दुकानों के भवन उपयुक्त हैं एवं कितनी दुकानों के भवन अनुपयुक्त हैं तथा कितनी भवनविहीन हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुपयुक्त भवन कब तक उपयुक्त बनाया जायेगा तथा भवन विहीन स्थानों में कब तक भवन बनाया जायेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मध्यप्रदेश में कुल 25,665 उचित मूल्य दुकान संचालित हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित दुकानों में 14,697 दुकानों के भवन उपयुक्त हैं एवं 1,294 दुकानों के भवन अनुपयुक्त हैं तथा 9,674 दुकानें भवनविहीन हैं। **(ग)** वर्तमान में विभाग अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के भवन निर्माण/मरम्मत के संबंध में कोई योजना संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रेत का अवैध उत्खनन

[खनिज साधन]

24. परि.अता.प्र.सं. 101 (क्र. 952) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक होशंगाबाद, जबलपुर, भिण्ड, नरसिंहपुर, रायसेन, देवास, धार, बड़वानी, सीहोर में कितनी रेत खदानें किस-किस स्थान पर, किस-किस दर पर कितने समय के लिये कितनी जगह पर आवंटित की गई? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में विभाग के जारी दिशा निर्देशों के विपरीत अवैध खनन होने की कितनी शिकायतें, कब-कब, किस-किस को प्राप्त हुई हैं? शिकायतों की प्रति दें। **(ग)** उपरोक्त के संबंध में शिकायतों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के विरूद्ध की गई? **(घ)** उपरोक्त के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग से कितने प्रकरण विभाग को प्राप्त हुये? कितने प्रकरण कितनी अवधि में निराकृत हुये? कितने प्रकरण किस कारण से लंबित है? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब के 1-10 पर दर्शित** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स के 1-9 पर दर्शित** है।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

यूरिया वितरण की निर्धारित प्रक्रिया

[सहकारिता]

25. ता.प्र.सं. 7 (क्र. 132) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्तमान में कृषकों को यूरिया वितरण हेतु सोसायटी में पंजीकृत या अपंजीकृत कृषकों हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? आदेश एवं परिपत्र की प्रति बतावें। **(ख)** दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक जिलेवार समितियों द्वारा कृषकों को कितनी मात्रा में यूरिया प्रदान किया गया? **(ग)** यूरिया निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने संबंधी कितने ज्ञापन अथवा शिकायतें प्राप्त हुई तथा इस संबंध में कितनी संख्या में जांच कर कितने प्रकरण दर्ज किए गए? **(घ)** प्रदेश में वर्तमान अवधि में कुल कितनी मात्रा में यूरिया किस किस कम्पनी से कितना-कितना प्राप्त हुआ? क्या यह मात्रा शासन द्वारा तय की गई

अनुमानित मात्रा के बराबर है या अनुमान से कितनी कम है? **(ड.)** क्या शासन यूरिया वितरण में पूर्णतः असफल रहा है तथा क्या इससे किसानों में अधिक आक्रोश है?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कृषकों को यूरिया वितरण के संबंध में सोसायटी में किसान पंजीयन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचे जाने के संबंध में 2 ज्ञापन एवं 12 शिकायतें प्राप्त हुई है। इस संबंध में 9 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, 1 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित तथा 2 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये है। **(घ)** प्रदेश में वर्तमान अवधि में कुल प्राप्त यूरिया की कंपनीवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। रबी मौसम 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक होता है, भारत सरकार द्वारा यूरिया प्रदायक कंपनियों के माध्यम से यूरिया की निरंतर आपूर्ति की जा रही है। अत: मध्य मौसम में कुल मांग की तुलना में प्राप्त यूरिया का अनुमान लगाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** जी नहीं।

<u>परिशिष्ट - ''पाँच''</u>

जनजाति नागरिकों के उत्थान हेतु किये गये कार्य
[जनजातीय कार्य]

26. ता.प्र.सं. 14 (क्र. 1063) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4449, दिनांक 17.03.2021 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि प्रदेश में पिछले दस वर्षों में धारा 165 (6) में आदिवासियों की कितनी जमीन को गैर आदिवासी में बेच दिया गया है? **(ख)** धारा 165 (6) तथा 165 (7) में प्राप्त आवेदन पर लिये गये निर्णय में आदिवासियों के हितों का पूरी तरह ध्यान रखा गया है या नहीं? इसका मूल्यांकन राजस्व विभाग द्वारा किस तरह किया जाता है? **(ग)** विभिन्न विभागों में जनजाति उपयोजना की राशि का उपयोग उचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं? इसका मूल्याकंन विभाग द्वारा किस प्रकार किया जाता है? **(घ)** विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 में नामांकन की संख्या वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक की बतावें तथा बतावें की इस अवधि में सायकल, पुस्तकें, गणवेश तथा मध्यान्ह भोजन के हितग्राहियों की संख्या वर्षवार कितनी-कितनी है? **(ड.)** विभाग द्वारा आदिवासी कृषकों के विकास हेतु, आदिवासियों के जीवनांक में सुधार हेतु, आदिवासियों की वार्षिक आय बढ़ाने तथा आदिवासियों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु क्या-क्या योजनाएं बनाई गईं है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** उल्लेखित प्रश्न क्रमांक-4449 दिनांक 17.03.2021 का उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार** है। **(ख)** धारा 165 (6) तथा 65 (7) के मामलों में विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की परिस्थितियां एवं आवश्यक जांच उपरांत आदिवासी के हितों को सर्वोपरि रखते हुये गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(ग) जनजातीय उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु जानकारी प्राप्त की जाती है तथा विभागों में जनजाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता/संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राशि के उपयोग के संबंध में परियोजना/जिला/संचालनालय/प्रमुख सचिव/मुख्य सचिव स्तर पर अनुश्रवण किया जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यों का स्थल निरीक्षण किया जाता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'तीन' अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'चार' अनुसार** है।

पृथक वितरित

घुमक्कड़ जनजाति की समस्याओं का निदान

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अद्र्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

27. ता.प्र.सं. 17 (क्र. 1235) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण की कौन-कौन सी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं तथा प्रदेश में अब तक किन-किन तहसीलों में उक्त वर्ग के कुल कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है? **(ख)** यदि प्रश्नांश "क" का प्रत्युत्तर सकारात्मक है, तो रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत 20 ग्रामों में घुमक्कड़ जाति के रूप में मुसहर जनजाति के लोग खुले आसमान के नीचे सपरिवार जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी अब तक न तो आवासीय व न ही शैक्षणिक एवं न ही उदर-पोषण की कोई प्रभावी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा क्यों? **(ग)** यदि प्रश्नांश "ख" का प्रत्युत्तर सकारात्मक है, तो त्योंथर तहसील अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में निवासरत घुमक्कड़, अद्र्ध घुमक्कड़ मुसहर जाति के लोगों को आवास व शिक्षा तथा पोषण की प्रभावी व्यवस्था कब तक सुनिश्चित की जाएगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [**(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित मुसहर जनजाति विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" "ब" एवं "स" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित मुसहर जनजाति विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पृथक वितरित

नागदा में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण

[विधि एवं विधायी कार्य]

28. अता.प्र.सं.135 (क्र. 1551) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा में न्यायालय हेतु नवीन भवन निर्माण की प्रक्रिया किस स्तर पर विचाराधीन

है इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है और चयन की गई भूमि का सर्वे नं. व रकबा व कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? **(ख)** नागदा न्यायालय के नवीन भवन निर्माण हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है तो भवन निर्माण हेतु टेण्डर आमंत्रित किए गए है? यदि हाँ तो कब? क्या टेण्डर स्वीकृत कर कार्यादेश जारी कर दिए गए है? **(ग)** क्या नागदा में न्यायालय हेतु चयन की गई भूमि के संबंध में कोई आपत्तियां की गई है? यदि हाँ तो आपत्ति की छायाप्रति सहित आपत्तिकर्ता का नाम, पता सहित विवरण देवें।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** (1) भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं आवंटन प्रक्रियाधीन है। (2) ग्राम पाडल्याकला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन की भूमि सर्वे क्रमांक 1400/01 में स्थित 2.300 हेक्टेयर भूमि में से 1.47 हेक्टेयर भूमि तथा सर्वे क्रमांक 1401 में स्थित 1.254 हेक्टेयर स्थान महादेव चबूतरा। (3) भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन होने से आज दिनांक तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। **(ख)** (1) प्रश्नांश (क) अनुसार। (2) जी नहीं (3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (4) जी नहीं। **(ग)** (1) जी हाँ, (2) श्री विष्णु पर्वत पुत्र श्री शिव पर्वत गोस्वामी, श्री महादेव चबूतरा, ग्राम पाडल्याकला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के मंदिर के पुजारी द्वारा पत्र दिनांक 01.09.2020 द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है।

<u>परिशिष्ट - "छ:"</u>

दिनांक 09/08/2021 में दी गई जानकारी

[विधि एवं विधायी कार्य]

29. अता.प्र.सं.137 (क्र. 1553) श्री संजय यादव : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरगी में न्यायालय की तत्कालीन व्यवस्था हेतु शासन द्वारा उपलब्ध भवन न्यायालय संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है एवं न्यायालय हेतु भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर अतिक्रमण है? **(ख)** यदि हाँ, तो शासन द्वारा आवंटित भूमि को अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं कराया जा रहा है? जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कब-कब विभाग द्वारा कलेक्टर/एस.डी.एम. को पत्र जारी किए गए? प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि का आवंटन करने का भी लेख किया है, तो विभाग को निर्विवाद भूमि आवंटित हो गई है? यदि हां, तो आवंटन आदेश बतावें। यदि नहीं, तो विभाग द्वारा कब-कब स्मरण पत्र जारी किया गया? **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित समस्या को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग को आवंटित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पुन: पत्र जारी करेगा?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** (1) जी हाँ (2) जी हाँ। **(ख)** शासन द्वारा आवंटित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, इसके संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 3708, दिनांक 05 नवंबर 2020, स्मरण पत्र क्रमांक 199, दिनांक 13.01.2021, द्वितीय स्मरण पत्र क्रमांक

838, दिनांक 03.03.2021, तृतीय स्मरण पत्र क्रमांक 2475, दिनांक 31.07.2021 के द्वारा जिला कलेक्टर, जबलपुर को भूमि अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु लिखा गया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की रजिस्ट्री द्वारा भी कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन क्रमांक बी/5971, दिनांक 24.09.2021 के माध्यम से भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु लिखा गया है। **(ग)** (1) जी नहीं (2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ पत्र क्रमांक 4872/2021/21-ब (एक), दिनांक 27.12.2021 कलेक्टर, जबलपुर को भेजा गया है।